

**परिशिष्ट 1.1 भाग क**  
(सन्दर्भ: कंडिका 1.1)

झारखण्ड का परिचय							
क . सामान्य आँकड़ा							
क्र.सं.	विवरण				आँकड़ा		
1	क्षेत्रफल				79,714 वर्ग कि.मी.		
2	जनसंख्या						
	क.	2011			3.33 करोड़		
	ख.	2020			3.82 करोड़		
3	क.	जनसंख्या का घनत्व <sup>1</sup> (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			338 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		
	ख.	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)			414 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.		
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल.) <sup>2</sup> 2011-12 (अखिल भारतीय औसत = 21.9%)				36.90 प्रतिशत		
5	साक्षरता <sup>3</sup> (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73% )				71.80 प्रतिशत		
6	शिशु मृत्यु दर <sup>4</sup> 2017 (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय = 33 प्रति 1000 जीवित जन्म)				29		
	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा <sup>5</sup> (2014-18) (अखिल भारतीय = 69.4 वर्ष)				69.1 वर्ष		
7	मानव विकास सूचकांक <sup>6</sup>						
	क.	2018 (अखिल भारतीय = 0.647)			उपलब्ध नहीं		
	ख.	2019 (अखिल भारतीय = 0.645)			उपलब्ध नहीं		
8	वर्ष 2011-12 को आधार मानते हुए वर्तमान मूल्य पर 2019-20 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)				₹ 3,28,598 करोड़		
9	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2019-20)			झारखण्ड	8.51 प्रतिशत		
				सामान्य श्रेणी राज्य	10.53 प्रतिशत		
10	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर.(2011-12 से 2019-20) <sup>7</sup>			झारखण्ड	10.21 प्रतिशत		
				सामान्य श्रेणी राज्य	11.98 प्रतिशत		
11	जनसंख्या वृद्धि <sup>8</sup> (2011 से 2020)			झारखण्ड	14.81 प्रतिशत		
				सामान्य श्रेणी राज्य	10.98 प्रतिशत		
ख. वित्तीय आँकड़ा							
क्र.सं.	विवरण			आँकड़े (प्रतिशत में)			
				सी.ए.जी.आर.			
			2010-11 से 2018-19		2018-19 से 2019-20		
			सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड	सामान्य श्रेणी राज्य	झारखण्ड	
1	क	राजस्व प्राप्तियों का		13.65	14.67	2.08	4.03
2	ख	कर राजस्व का		12.21	12.58	2.12	13.69
3	ग	गैर कर राजस्व का		11.19	14.46	23.44	5.96
4	घ	कुल व्यय का		13.87	14.74	4.09	5.85
5	ङ	पूँजीगत व्यय का		14.64	19.00	(-) <sup>3</sup> 3.86	(-) <sup>7</sup> 7.78
6	च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का		11.58	8.98	11.81	27.69
7	छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का		15.43	21.13	9.48	(-) <sup>10</sup> 10.63
8	ज	वेतन एवं मजदूरी का		10.78	10.05	9.51	5.72
9	झ	पेंशन का		14.14	14.13	9.74	0.23

<sup>1</sup> सेंसस इंडो इण्डिया 2011 अंतिम कुल जनसंख्या

<sup>2</sup> आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2018-19, (भाग II), पृष्ठ ए 168-169, तालिका 9.8

<sup>3</sup> झारखण्ड आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2019-20, पृष्ठ 191,

<sup>4</sup> झारखण्ड आर्थिक सर्वे प्रतिवेदन 2019-20, पृष्ठ 222,

<sup>5</sup> 2011 की जनगणना की एस आर एस आधारित संछिप्त जीवन तालिका 2014-18 की विवरणी 3

<sup>6</sup> यू.एन.डी.पी.द्वारा प्रकाशित मानव विकास प्रतिवेदन 2019 पृष्ठ 302 एवं मानव विकास प्रतिवेदन 2020 पृष्ठ 243

<sup>7</sup> स.रा.घ.उ. एवं प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ., एस.पी.आई. मंत्रालय वेबसाइट से डाउनलोड किया गया

<sup>8</sup> भारत की जनगणना 2011 (जनसंख्या प्रोजेक्सन 2011-2036, तालिका 14, पृष्ठ 121 से 133)

**परिशिष्ट 1.1 भाग ख**  
**सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा**  
(संदर्भ : कंडिका 1.1)

**सरकारी लेखाओं की संरचना:** राज्य सरकार के लेखे तीन भाग में रखे जाते हैं (1) संचित निधि, (2) आकस्मिकता निधि और (3) लोक लेखा।

**भाग I : संचित निधि:** राज्य सरकार द्वारा प्राप्त किये गये सारे राजस्व, कोषागार विपत्र जारी कर लिए गये सारे ऋण, आंतरिक एवं वाह्य ऋण और ऋणों की वापसी में सरकार को मिली सभी तरह की राशि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य सरकार की संचित निधि" नामक एक संचित निधि का निर्माण करेगी।

**भाग- II : आकस्मिकता निधि:-** संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के तहत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि एक इम्प्रेस्ट की तरह होती है जिससे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है जो विधान सभा से प्राधिकृत किये जाने के लिए लंबित होता है। ऐसे व्यय हेतु और संचित निधि से व्यय के समतुल्य राशि की निकासी हेतु विधान सभा का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है जिसके पश्चात आकस्मिकता निधि से दिये गये अग्रिम की राशि निधि में डालकर प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।

**भाग- III : लोक लेखा:** कुछ लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण, जो संचित निधि का भाग नहीं होते, संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमण्डल के द्वारा मत का विषय नहीं होते हैं।

**भाग-ग : वित्त लेखे का अभिन्यास**

विवरणी	अभिन्यास
विवरणी सं. 1	वर्ष के अंत में सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों को दर्शाता है। ये परिसंपत्तियाँ व्यापक रूप से सरकार की भौतिक परिसंपत्तियों का उल्लेख करते हुए प्रगामी पूँजीगत व्यय के आँकड़ों सहित वित्तीय परिसंपत्तियाँ हैं। परिसंपत्तियाँ, लेखांकन नीति के अनुसार, ऐतिहासिक मूल्य पर दर्शायी जाती हैं।
विवरणी सं. 2	इसमें वर्ष के दौरान सरकार की कुल प्राप्तियाँ तथा व्यय, सभी तीन भागों अर्थात् संचित निधि, आकस्मिकता निधि व लोक लेखे जिसमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं, को दर्शाती हुई संक्षिप्त विवरणी होती है।
विवरणी सं. 3	इस विवरणी में राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ और सरकार के भारत सरकार व अन्य संस्थानों से ऋण वाले उधार, बाजार ऋण तथा सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ सम्मिलित होती हैं।
विवरणी सं. 4	यह विवरणी कार्य (कार्यकलाप) अनुसार व्यय प्रस्तुत करती है और कार्यकलापों की प्रकृति (व्यय का प्रयोजन) के अनुसार व्यय को सारांशीकृत भी करती है।
विवरणी सं. 5	यह कार्यवार प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है, जिसका सकल योग विवरण-1 में दर्शाया गया है।
विवरणी सं. 6	यह बाजार ऋण एवं भारत सरकार से ऋण व अग्रिम को मिलाकर सरकार के उधारों को प्रस्तुत करता है। इसके साथ साथ, 'अन्य दायित्व' जो लोक लेखाओं के विभिन्न क्षेत्रों में शेष हैं, जिसके लिए सरकार ट्रस्टी या अभिरक्षक के रूप में कार्य करती है भी दिये जाते हैं।
विवरणी सं. 7	यह सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों (क्षेत्र एवं ऋणी समूह के अनुसार) जैसा विवरणी-1 में चित्रित है तथा विवरणी संख्या 2, 3 एवं 4 में दिखायी गयी वसूलियाँ, संवितरणों को दर्शाता है।
विवरणी सं. 8	यह विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी में सरकारी निवेश का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण के पुनर्भुगतान आदि हेतु सरकार द्वारा दी गयी गारंटियों की सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.10	यह समूह-वार अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थानों द्वारा व्यवस्थित, राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों को दर्शाता है। दिये गये अनुदानों पर एक टिप्पणी भी इसमें शामिल रहती है।
विवरणी सं.11	वर्ष के दौरान हुए भारित एवं दत्तमत व्यय के मध्य वितरण को इंगित करती है।
विवरणी सं.12	यह पूँजीगत एवं अन्य व्यय (राजस्व लेखे को छोड़कर) एवं व्यय हेतु निधि के स्रोत को दर्शाता है।
विवरणी सं.13	संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से संबंधित शेष का सारांश प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.14	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व प्राप्तियों का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.15	यह लघु शीर्षवार राजस्व व्यय के लेखाओं को योजना एवं गैर-योजना के अंतर्गत अलग-अलग दर्शाता है।
विवरणी सं.16	वर्ष 2019-20 के दौरान और इसके अंत में पूँजीगत व्यय का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करती है।
विवरणी सं.17	यह लघु शीर्षवार उधारों एवं अन्य दायित्वों का विवरण तथा सभी ऋणों की वापसी व परिपक्वता की रूपरेखा को दर्शाता है।
विवरणी सं.18	झारखण्ड सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों, वर्ष के दौरान वापस की गयी ऋण की राशि, 31 मार्च 2020 के अधिशेष का विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं.19	वर्ष 2019-20 के अंत तक राज्य सरकार के सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों, सहकारी बैंकों तथा सोसाइटियों आदि में राज्य सरकार के निवेश का विस्तृत ब्यौरा दर्शाती है।
विवरणी सं. 20	वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिये गये ऋण इत्यादि की वापसी के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटी का विवरण दिखाती है।
विवरणी सं. 21	आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के लेन-देन से संबंधित विस्तृत लेखा प्रस्तुत करती है।
विवरणी सं. 22	आरक्षित निधियों के चिन्हित अधिशेषों का विवरण प्रस्तुत करती है।

**परिशिष्ट 1.2**  
**वर्ष 2019-20 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार**  
(संदर्भ: कंडिका 1.4.2)

(₹ करोड़ में)

वर्ष 2019-20 के प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार									
प्राप्तियाँ			संवितरण						
2018-19		2019-20	2018-19		2019-20				
	भाग - क: राजस्व				स्थापना	राज्य एवं केंद्र योजना	कुल		
56,151.70	I. राजस्व प्राप्तियाँ	58,417.14	50,630.73	I. राजस्व व्यय	28,829.69	27,626.94	56,456.63	56,456.63	
14,752.07	कर राजस्व	16,771.45	17,655.66	सामान्य सेवाएँ	18,371.59	342.27	18,713.86		
			18,786.03	सामाजिक सेवाएँ	7,243.33	14,204.55	21,447.88		
8,257.98	कर-भिन्न राजस्व	8,749.98	7,844.02	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	5,438.50	4,308.49	9,746.99		
			3,123.00	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,086.18	1,704.62	2,790.80		
23,906.13	संघीय करों में राज्य के हिस्से	20,593.04	3,299.09	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और नगर विकास	315.7	2,869.49	3,185.19		
1,059.89	गैर-योजना अनुदान	वित्त आयोग अनुदान 3,154.6	160.05	सूचना एवं प्रसारण	115.52	79.21	194.73		
1,178.78	राज्य योजना हेतु अनुदान	राज्य को अन्य अनुदान 1,809.01	1,146.45	अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	145.74	1,059.66	1,205.40		
6,996.85	केन्द्र एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ 7,339.06	118.05	श्रम एवं श्रम कल्याण	61.69	63.04	124.73		
			3,063.61	सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार	48.6	4,120.04	4,168.64		
			31.76	अन्य	31.40	0	31.40		
			14,189.04	आर्थिक सेवाएँ	3,213.55	13,080.12	16,293.67		
			1,789.5	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	495.93	2,509.67	3,005.60		
			7,431.63	ग्रामीण विकास	559.57	7,313.21	7,872.78		
			0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0.00		
			399.42	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	385.64	0	385.64		
			2,690.22	उर्जा	1,350	1,649.93	2,999.93		
			344.55	उद्योग एवं खनिज	65.2	258.62	323.82		
			386.85	परिवहन	247.31	167.25	414.56		
			0	विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	0	0	0		
			1,146.87	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	109.88	1181.46	1291.34		
			0	सहायता अनुदान एवं अंशदान	1.22	0	1.22		
			50,630.73	कुल	28,829.69	27,626.94	56,456.63		
0	II. खण्ड-ख में ले		5,520.97	II. राजस्व आधिक्य					1,960.51

	जाया गया राजस्व घाटा				खण्ड ख				
56,151.70	कुल		58,417.14	56,151.70	कुल				58,417.14
Section B									
550.44	III. आरंभिक रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम एवं रोकड़ शेष निवेश सहित		795.39	0	III. भारतीय रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट का आरंभिक शेष				0
0	IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ		0	10,711.7	IV. पूँजीगत परिव्यय	46.52	9,832.19	9,878.71	9,878.71
				791.04	सामान्य सेवाएँ	46.44	1,192.73	1,239.17	
				1,615.45	सामाजिक सेवाएँ	0.00	1,430.31	1,430.31	
				356.38	शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	0	258.13	258.13	
				273.39	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0	347.69	347.69	
				566.82	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	0	631.57	631.57	
				12.83	सूचना एवं प्रसारण	0	8.81	8.81	
				394.59	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	0	165.36	165.36	
				0	सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0	0.86	0.86	
				11.44	अन्य	0	17.89	17.89	
				8,305.22	आर्थिक सेवाएँ	0.08	7,209.15	7,209.23	
				390.34	कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप	0	153.85	153.85	
				2,460.87	ग्रामीण विकास	0	1,991.11	1,991.11	
				0	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	0	0.00	
				1,476.46	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0	1,328.78	1,328.78	
				0	ऊर्जा	0	0	0.00	
				6.5	उद्योग और खनिज	0	4.00	4.00	
				3,870.54	परिवहन	0	3,686.95	3,686.95	
				100.51	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	0.08	44.46	44.54	
47.57	V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली		49.19	1,485.59	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	52.52	112.91	165.43	165.43
0	ऊर्जा परियोजनाओं से	0		1413.09	ऊर्जा परियोजनाओं हेतु	0	89.32	89.32	
47.07	सरकारी सेवकों से	48.77		46.88	सरकारी सेवकों को	52.52	0	52.52	
0.50	अन्य से	0.42		25.62	अन्य को	0.00	23.59	23.59	
5,520.97	VI. नीचे लाया		1,960.51	0	VI. नीचे लाया गया				0

	गया राजस्व आधिक्य				राजस्व घाटा				
7,803.43	VII. लोक ऋण प्रप्तियाँ		9,593.12	3,060.10	VII. लोक ऋण की वापसी			4,231.40	4,231.40
7,530.52	वाह्य ऋण	9,167.14		2,893.42	वाह्य ऋण			4,057.86	
0	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण	0		0	अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण			0	
0	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेनदेन	0		0	अर्थोपाय अग्रिम के अंतर्गत लेनदेन			0	
272.91	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	425.98		166.68	ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन			173.54	
0	VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग		0		VIII. आकस्मिकता निधि से विनियोग				0
0	IX. आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि		0		IX. आकस्मिकता निधि से व्यय				0
25,409.79	X. लोक लेखा प्राप्तियाँ		33,242.77	23,279.41	X. लोक लेखा संवितरण			27,901.96	27,901.96
1,120.04	छोटे बचत एवं भविष्य निधि	1,175.37		1,051.11	छोटे बचत एवं भविष्य निधि			1,169.63	
421.00	रक्षित निधि	4,379.02		41.95	रक्षित निधि			361.09	
38.72	उचंत एवं विविध	259.60		-87.99	उचंत एवं विविध			162.90	
10,647.59	प्रेषण	11,106.53		10,587.99	प्रेषण			11,123.50	
13,182.44	जमा एवं अग्रिम	16,322.25		11,686.35	जमा एवं अग्रिम			15,084.84	
0	अंतर्राज्यीय समायोजन	0		0	अंतर्राज्यीय समायोजन			0	
0	XI. भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट का अंत शेष			795.39	XI. वर्ष के अंत में रोकड़ शेष			3,463.48	3,463.48
				0	कोषागार में नकद और स्थानीय प्रेषण			0	
				188.30	रिजर्व बैंक में जमा			-54.14	
				39.19	स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष			47.00	
				400	चिन्हित निधि का निवेश			400.00	
				167.90	रोकड़ शेष का निवेश			3,070.62	
95,483.90	<b>कुल</b>		<b>1,04,058.12</b>	<b>95,483.90</b>	<b>कुल</b>				<b>1,04,058.12</b>

**परिशिष्ट 2.1**  
**राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े**  
(संदर्भ: कंडिका 2.3.1.1 व 2.4)

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
<b>भाग - क. प्राप्तियाँ</b>					
<b>1. राजस्व प्राप्तियाँ</b>	<b>40,638.00</b>	<b>47,054.00</b>	<b>52,756.00</b>	<b>56,152.00</b>	<b>58,417.00</b>
<b>(i) कर राजस्व</b>	<b>11,478.00</b>	<b>13,299.00</b>	<b>12,353.00</b>	<b>14,752.00</b>	<b>16,771.00</b>
वस्तु एवं सेवा कर	-	-	4,124.00	8,201.00	8,418.00
कृषि आय पर कर	-	-	-	-	-
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,999.00	10,549.00	5,715.00	3,475.00	3,996.00
राजस्व उत्पाद	912.00	962.00	841.00	1,083.00	2,009.00
वाहनों पर कर	633.00	682.00	779.00	864.00	1,129.00
मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	532.00	607.00	469.00	451.00	560.00
भू-राजस्व	164.00	240.00	156.00	389.00	338.00
माल एवं यात्रियों पर कर	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य कर	237.00	259.00	270.00	289.00	321.00
<b>(ii) कर भिन्न राजस्व</b>	<b>5,853.00</b>	<b>5,351.00</b>	<b>7,847.00</b>	<b>8,258.00</b>	<b>8,750.00</b>
<b>(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश</b>	<b>15,969.00</b>	<b>19,142.00</b>	<b>21,144.00</b>	<b>23,906.00</b>	<b>20,593.00</b>
<b>(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान</b>	<b>7,338.00</b>	<b>9,262.00</b>	<b>11,412.00</b>	<b>9,236.00</b>	<b>12,303.00</b>
<b>2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. ऋण एवं अग्रिम की वसूली</b>	<b>31.00</b>	<b>39.00</b>	<b>42.00</b>	<b>47.00</b>	<b>49.00</b>
<b>4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)</b>	<b>40,669.00</b>	<b>47,093.00</b>	<b>52,824.00</b>	<b>56,199.00</b>	<b>58,466.00</b>
<b>5. लोक ऋण प्राप्तियाँ</b>	<b>13,245.00</b>	<b>7,081.00</b>	<b>8,137.00</b>	<b>7,803.00</b>	<b>9,593.00</b>
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	13,080.00	6,847.00	7,905.00	7,531.00	9,167.00
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	165.00	234.00	232.00	273.00	426.00
<b>6. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)</b>	<b>53,914.00</b>	<b>54,174.00</b>	<b>60,960.00</b>	<b>64,002.00</b>	<b>68,059.00</b>
<b>7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8. लोक लेखा प्राप्तियाँ</b>	<b>29,037.00</b>	<b>22,052.00</b>	<b>25,410.00</b>	<b>33,243.00</b>	<b>33,243.00</b>
<b>9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)</b>	<b>82,951.00</b>	<b>76,226.00</b>	<b>86,370.00</b>	<b>97,245.00</b>	<b>1,01,302.00</b>
<b>भाग - ख. व्यय/सवितरण</b>					
<b>10. राजस्व व्यय</b>	<b>36,553.00</b>	<b>45,089.00</b>	<b>50,952.00</b>	<b>50,631.00</b>	<b>56,457.00</b>
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	15,793.00	22,194.00	22,999.00	23,983.00	27,627.00
गैर योजना/स्थापना	20,760.00	22,895.00	27,953.00	26,648.00	28,830.00
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	12,002.00	13,024.00	16,558.00	17,656.00	18,714.00
सामाजिक सेवाएँ	14,844.00	18,557.00	19,575.00	18,786.00	21,448.00
आर्थिक सेवाएँ	9,707.00	13,508.00	14,819.00	14,189.00	16,294.00
सहायता अनुदान एवं अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
<b>11. पूँजीगत व्यय</b>	<b>8,159.00</b>	<b>10,861.00</b>	<b>11,953.00</b>	<b>10,712.00</b>	<b>9,879.00</b>
योजना/राज्य योजनाएँ, के.प्रा.स्कीम-केंद्रांश, केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	8,087.00	10,814.00	11,884.00	10,669.00	9,832.00
गैर योजना/स्थापना	72.00	47.00	69.00	42.00	47.00
सामान्य सेवाएँ	571.00	590.00	807.00	791.00	1,239.00
सामाजिक सेवाएँ	1,024.00	1,532.00	1,528.00	1,616.00	1,431.00

आर्थिक सेवाएँ	6,564.00	8,739.00	9,618.00	8,305.00	7,209.00
12. ऋण एवं अग्रिम का संवितरण	7,480.00	1,335.00	1,852.00	1,485.00	165.00
13. कुल व्यय(10+11+12)	52,192.00	57,285.00	64,756.00	62,828.00	66,501.00
14. लोक ऋण पुनर्भुगतान	2,246.00	2,078.00	2,950.00	3,060.00	4,231.00
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	2,079.00	1,920.00	2,788.00	2,893.00	4,058.00
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	167.00	158.00	161.00	167.00	173.00
15. आकस्मिकता निधि से विनियोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16. संचित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	54,438.00	59,363.00	67,706.00	65,888.00	70,732.00
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18. लोक लेखा संवितरण	27,053.00	16,820.00	23,279.00	27,902.00	27,903.00
19. राज्य द्वारा कुल वितरण (16+17+18)	81,491.00	76,183.00	90,985.00	93,790.00	98,635.00
भाग - ग. घाटे					
20. राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य(+) (1-10)	4,085.00	1,965.00	1,804.00	5,521.00	1,960.00
21. राजकोषीय घाटा(-)/राजकोषीय आधिक्य(+) (4-13)	-11,523.00	-10,192.00	-11,933.00	-6,629.00	-8,035.00
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य(+) (21-23)	-8,203.00	-6,020.00	-7,271.00	-1,777.00	-2,727.00
भाग-घ. अन्य आँकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सन्निहित)	7,436.00	6,176.00	6,534.00	10,420.00	15,352.00
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	3,320.00	4,172.00	4,662.00	4,852.00	5,308.00
25. अर्थोपाय अग्रिम/उपमुक्त ओवरड्राफ्ट(दिन)	14,891.00	20,332.00	20,714.00	17,976.00	19,191.00
उपमुक्त अर्थोपाय अग्रिम (दिन)	0.00	3.00	7.00	58.00	16.00
उपमुक्त ओवरड्राफ्ट (दिन)	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	0.00	0.00	0.21	6.23	3.95
27. (क) वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	2,06,613.00	2,36,250.00	2,69,816.00	2,97,204.00	3,28,598.00
27. (ख) स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)@	1,74,881.00	1,93,174.00	2,10,587.00	2,24,986.00	2,40,036.00
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अंत में)	56,530.00	66,827.00	77,095.00	83,783.00	94,407.00
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	157.00	157.00	157.00	607.00	607.00
30. अधिकतम प्रत्याभूत राशि (वर्ष के अंत में)	157.00	157.00	157.00	450.00	450.00
31. अपूर्ण योजनाओं की संख्या (₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक)	195.00	280.00	113.00	410.00	378.00
32. अपूर्ण योजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	2,089.00	4,778.00	1,403.00	3,818.00	3,828.00
भाग - ड. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक					

<b>I संसाधन संग्रहण</b>					
स्वयं के कर राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	5.56	5.63	4.58	4.96	5.10
स्वयं के कर राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	6.56	6.88	5.87	6.56	6.99
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.83	2.26	2.91	2.78	2.66
स्वयं के कर-भिन्न राजस्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	3.35	2.77	3.73	3.67	3.65
केंद्रीय अंतरण/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	7.73	8.10	7.84	8.04	6.27
केंद्रीय अंतरण/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.20	4.79	5.42	4.10	5.13
<b>II व्यय प्रबंधन</b>					
कुल व्यय/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	25.26	24.25	24.00	21.14	20.24
कुल व्यय/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	29.84	29.65	30.75	27.93	27.70
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	128.40	121.70	122.75	111.89	113.84
राजस्व व्यय/कुल व्यय	70.00	78.70	78.68	80.59	84.90
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	30.50	35.20	32.64	32.47	34.44
आर्थिक सेवाओं पर व्यय (ऋ. व अ. सहित)/कुल व्यय	45.30	41.00	40.46	35.84	35.48
पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	15.60	19.00	18.46	17.05	14.86
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	14.50	17.90	17.21	15.79	12.99
<b>III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन</b>					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	1.98	0.83	0.67	1.86	0.60
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	2.34	1.02	0.86	2.45	0.82
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-5.58	-4.31	-4.42	-2.23	-2.45
राजकोषीय घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-6.59	-5.28	-5.67	-2.95	-3.35
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-3.97	-2.55	-2.69	-0.60	-0.83
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	-4.69	-3.12	-3.45	-0.79	-1.14
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	-35.50	-19.30	-15.12	-83.28	-24.39
प्राथमिक राजस्व संतुलन/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	3.60	2.61	2.42	3.51	4.67
प्राथमिक राजस्व संतुलन/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	4.25	3.20	3.10	4.63	6.40
<b>IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन</b>					
राजकोषीय दायित्व/वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ.	27.36	28.29	28.57	28.19	28.73
राजकोषीय दायित्व/स्थिर मूल्य पर स.रा.घ.उ.	32.32	34.59	36.61	37.24	39.33
राजकोषीय दायित्व/रा.प्रा.	139.10	142.00	146.00	149.00	162.00
प्रमात्रा विस्तार के संदर्भ में प्राथमिक घाटा	-13,898.03	-2,083.16	-2,438.75	1,196.89	815.38



ऋण निर्माण (मूलधन+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्ति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
<b>V अन्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचक</b>					
निवेश पर आय	शून्य	शून्य	शून्य	*	शून्य
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	14,226.00	16,773.00	उ.न.	उ.न.	उ.न.
वित्तीय परिसम्पत्ति/दायित्व	109.00	111.00	111.00	118.00	118.00
सामान्य सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सामाजिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	43.00	47.00	32.00	23.00	24.00
आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम	7,388.00	1,236.00	1,764.00	1,462.00	89.00
परिसंपत्तियाँ	57,153.00	67,419.00	77,635.00	84,382.00	95,080.00
दायित्व	62,291.00	74,522.00	86,542.00	99,210.00	1,11,869.00

टिप्पणी: दूसरे अवयवों से तुलना के दौरान घटा को (-) एवं आधिक्य को (+) के रूप में दिखाया गया है।

@ आँकड़े सी.एस.ओ. से प्राप्त किये गये ।

\* ₹ 15,000 मात्र

परिशिष्ट 2.2

31 मार्च 2020 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति

(संदर्भ: कंडिका 2.5.4)

(₹ करोड़ में)

31.03.2019 को	दायित्व	31.03.2020 को
58436.19	आंतरिक ऋण	63545.46
37110.68	ब्याज वाले बाजार ऋण	42766.70
0.07	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.04
6.30	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	5.59
12993.27	अन्य संस्थाओं से ऋण	13216.75
0	अर्थापाय अग्रिम	0
8325.87	केन्द्र सरकार के एन.एस.एस. निधि को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	7556.38
0	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	0
2339.08	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2591.52
0	1984-85 के पूर्व के ऋण	0
15.79	गैर योजना ऋण	14.02
2323.29	राज्य योजनागत योजना हेतु ऋण	2577.5
500	आकस्मिकता निधि	500
1211.11	लघु बचत भविष्य निधि	1216.86
19866.44	जमा	21104.74
1930.10	रक्षित निधि	5948.02
99.27	अंतरण शेष	82.3
0	उचंत एवं विविध शेष	91.29
14828.18	व्यय से अधिक संचित आधिक्य की प्राप्ति	16788.69
99210.37	कुल	111868.88
	परिसम्पत्तियाँ	
77673.30	अचल संपत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	87552.02
331.18	कम्पनियों, निगमों आदि के शेयर में निवेश	328.43
77342.12	अन्य पूँजीगत परिव्यय	87223.59
0	अन्तर्राज्यीय समायोजन	0
20730.00	ऋण एवं अग्रिम	20846.24
19857.29	ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ऋण	19946.61
848.49	अन्य विकास ऋण	871.66
24.22	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अन्य ऋण	27.97
6.28	अग्रिम	7.14
5.41	उचंत एवं विविध शेष	0
795.38	नकद	3463.48
0	कोषागार में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	0
188.3	रिजर्व बैंक में जमा	-54.14
400	जमा निधि का निवेश	400
39.18	विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	47
167.9	नकद शेष निवेश	3070.62
0.00	प्रेषण शेष	0
0	सरकारी लेखे में घाटा	0
	(i) वर्ष के दौरान राजस्व घाटा/आधिक्य	
	(ii) विविध घाटा	
	वर्ष के आरंभ में संचित घाटा/आधिक्य	
99210.37	कुल	111868.88

## परिशिष्ट 3.1

## बजट प्रावधान के बिना खर्च वाले योजनाओं का अनुदान- वार सार

(संदर्भ: कंडिका 3.3.1)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	व्यय	आधिक्य/बचत
1.	1	2401-00-109-01	44.35	44.35
2.		2401-00-796-A1	19.39	19.39
3.	3	2059-80-001-12	0.02	0.02
4.		2059-80-053-02	0.85	0.85
5.	14	6003-00-101-0026	0.03	0.03
6.		6003-00-101-0027	0.01	0.01
7.		6003-00-101-0028	2.47	2.47
8.		6003-00-101-110	51745.00	51745.00
9.		6003-00-101-111	47440.00	47440.00
10.		6003-00-101-112	59989.00	59989.00
11.		6003-00-101-113	25224.00	25224.00
12.	15	2071-01-101-01	26191.42	26191.42
13.	19	2406-01-796-03	0.17	0.17
14.		2406-01-796-05	2.29	2.29
15.	20	2210-06-101-10	0.41	0.41
16.	33	2070-00-796-06	12.74	12.74
17.	40	2029-00-102-19	7.43	7.43
18.		2029-00-102-20	0.01	0.01
19.		2070-00-115-03	8.51	8.51
20.		2070-00-796-03	12.74	12.74
21.	58	2202-02-109-66	207.36	207.36
22.		2202-02-796-15	3.15	3.15
<b>कुल</b>			<b>210911.35</b>	<b>210911.35</b>

**परिशिष्ट 3.2**

**मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 0.50 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए**  
(संदर्भ: कंडिका 3.3.4)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>					
1	1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	3230.59	143.18	2062.07	1311.70
2	2-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग)	268.22	5.44	212.65	61.00
3	4-मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	54.35	11.83	42.14	24.04
4	6- मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग	61.33	340.81	348.16	53.98
5	10-ऊर्जा विभाग	3533.09	923.33	3059.1	1400.32
6	11-उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	35.52	6.54	33.32	8.74
7	12-योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	64.53	15.90	58.77	21.67
8	17-वाणिज्यकर विभाग	80.88	17.22	84.20	13.90
9	18-खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग	1341.66	199.26	1134.35	406.58
10	19-वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	728.11	272.76	714.44	286.42
11	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	3529.22	289.31	2780.61	1037.91
12	21-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	1305.85	452.60	1447.55	310.90
13	22-गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4883.73	567.03	5256.74	194.02
14	23-उद्योग विभाग	431.08	11.90	272.47	170.51
15	24-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	180.68	23.34	192.37	11.65
16	26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	254.49	28.80	142.88	140.41
17	27-विधि विभाग	387.67	52.57	360.98	79.26
18	29- खान एवं भूतत्व विभाग	63.77	15.12	57.46	21.43
19	32-विधान सभा	93.48	5.78	91.43	7.83
20	33-कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग)	31.55	3.10	29.64	5.00
21	35-योजना सह वित्त विभाग (योजना प्रभाग)	336.48	3.45	270.39	69.54
22	36-पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	1789.76	50.30	641.46	1198.61
23	37- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (राजभाषा प्रभाग)	22.55	2.63	24.65	0.53
24	38-राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग)	26.43	8.82	24.90	10.35
25	39-गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	718.82	407.88	437.42	689.27
26	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	698.54	73.24	523.63	248.15
27	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	5586.94	1360.16	4452.58	2494.51
28	43-उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग)	307.69	18.08	229.94	95.82
29	47-परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	233.38	70.87	177.31	126.93
30	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2930.18	429.66	2535.15	824.70
31	49- जल संसाधन विभाग	407.54	1.14	318.54	90.14
32	51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण प्रभाग)	1616.69	120.39	1210.71	526.37

33	52-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग प्रभाग)	83.46	2.86	70.26	16.05
34	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	1945.38	155.71	950.56	1150.52
35	56-ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	1978.09	875.89	2482.11	371.87
36	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	2097.62	21.29	1457.62	661.29
37	59-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	7222.34	414.86	6400.54	1236.65
38	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	4291.59	634.87	3911.60	1014.87
	<b>कुल</b>	<b>52853.28</b>	<b>8037.92</b>	<b>44500.7</b>	<b>16393.44</b>
<b>राजस्व (भारित)</b>					
39	5-राज्यपाल सचिवालय	11.86	0.66	10.11	2.41
40	28-झारखण्ड उच्च न्यायालय	94.90	21.18	97.54	18.55
41	34- झारखण्ड लोक सेवा आयोग	9.67	6.51	14.71	1.46
	<b>कुल</b>	<b>116.43</b>	<b>28.35</b>	<b>122.36</b>	<b>22.42</b>
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>					
42	3-भवन निर्माण विभाग	587.17	90.00	458.51	618.66
43	11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	10.00	2.74	2.74	10.00
44	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	602.22	161.08	347.69	415.61
45	22- गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	674.86	428.46	808.23	295.09
46	23- उद्योग विभाग	10.33	0.66	4.00	6.99
47	26-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	108.82	32.88	18.36	123.33
48	30- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)	100.20	2.04	57.63	44.61
49	36- पेय जल एवं स्वच्छता विभाग	750.00	1.00	538.73	212.27
50	41-पथ निर्माण विभाग	4700.00	50.00	3674.33	1075.67
51	42-ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	538.11	2.39	416.40	124.10
52	48-नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	38.15	0.50	23.59	15.06
53	50-जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	579.56	0.80	158.85	421.51
54	51-अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण प्रभाग)	161.50	2.50	107.73	56.27
55	52-पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग प्रभाग)	48.20	4.0	24.89	27.31
56	53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	42.26	12.00	38.67	15.59
57	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	25.57	9.90	0.86	34.60
	<b>कुल</b>	<b>8397.39</b>	<b>800.95</b>	<b>6681.21</b>	<b>3496.67</b>
<b>पूँजीगत (भारित)</b>					
58	14-ऋण की वापसी/अदायगी	3844.37	410.00	4231.40	22.97
	<b>कुल</b>	<b>3844.37</b>	<b>410.00</b>	<b>4231.40</b>	<b>22.97</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>65211.47</b>	<b>9277.22</b>	<b>55535.67</b>	<b>19935.49</b>

**परिशिष्ट 3.3**  
**अनावश्यक अथवा अत्यधिक पुनर्विनियोग**  
(संदर्भ: कंडिका 3.3.5)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	अनुदानों की संख्या	मुख्य शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम बचत (-)/ आधिक्य(+)
			मूल	अनुपूरक	प्रत्यर्पण	कुल		
1	2	2403- पशुपालन 001- निदेशन एवम प्रशासन 04-देख-रेख	146.93	0	0.12	147.05	126.37	20.68
2	3	2052-सचिवालय -सामान्य सेवा 090-सचिवालय 20-भवन निर्माण विभाग	165.31	0	25.50	190.81	178.60	12.21
3	3	2059- लोक निर्माण कार्य 80- सामान्य 001- निदेशन एवम प्रशासन 01- निदेशन	520.42	0	2.55	522.97	392.03	130.94
4	3	2059- लोक निर्माण कार्य 80- सामान्य 001- निदेशन एवम प्रशासन 02- सथापतय कला	91.94	0	2.00	93.94	85.98	7.96
5	12	2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ 800- अन्य व्यय 08- विविध और आकस्मिक व्यय	200.00	550.00	5.00	755.00	575.99	179.01
6	13	2049- ब्याज भुगतान 60- अन्य कर्तव्यों पर ब्याज 701- विविध 03- अन्य विविध निर्णयों पर ब्याज	200.00	0	150.00	350.00	309.02	40.98
7	18	3456- जन आपूर्ति 796-टी ए एस पी 23- मुख्यमंत्री दाल-भात योजना	1750.00	0	264.50	2014.50	1412.72	601.78
8	19	2406- वन एवं वन्य जीवन 01-वानिकी 005- वन संसाधनों का सर्वेक्षण एवं उपयोग - 12- निष्पादन सह योजना प्रकोष्ठ	530.56	9.68	3.07	543.31	420.82	122.49
9	22	2056-जेल 101-जेल 01- केन्द्रीय जेल	7262.10	1246.15	500.00	9008.25	8711.3	296.95
10	41	3054- सड़क एवं पुल 80- सामान्य 001- निदेशन एवम प्रशासन 01 निदेशन	1409.19	4.31	10.00	1423.50	1064.17	359.33
11	41	3451- सचिवालय- आर्थिक सेवाएं 090-सचिवालय 12- सड़क निर्माण विभाग	258.95	20.00	12.73	291.68	260.32	31.36
12	48	2217- शहरी विकास 80-सामान्य 193-नगर पंचायत /अधिसूचित क्षेत्र समिति या उसके समकक्ष को सहायता 83- 14वें वित्त आयोग के सिफारिश पर नगर पंचायत /अधिसूचित क्षेत्र समिति को सामान्य मूल अनुदान	2994.79	1000.00	367.31	4362.10	4201.76	160.34
13	51	2225- अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण 02- अनुसूचित जनजाति का कल्याण 796- टी ए एस पि 59- प्रवेश के बाद छात्रवृत्ति	4500.00	0	1000.00	5500.00	1430.53	4069.47
14	55	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 001- निदेशन एवम प्रशासन 26- मुख्य अभियंता (ग्रामीण कार्य विभाग , मुख्यालय स्थापना)	185.76	10.00	85.00	280.76	267.41	13.35
		<b>कुल</b>	<b>20215.95</b>	<b>2840.14</b>	<b>2427.78</b>	<b>25483.87</b>	<b>19437.02</b>	<b>6046.85</b>

**परिशिष्ट 3.4**  
**वर्ष के दौरान बड़े बचत (बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक)**  
**(संदर्भ: कंडिका 3.3.6.1)**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विनियोजन का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक	बचत	प्रत्यर्पण
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>							
1	1- 1-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	3230.59	143.18	3373.77	2062.07	1311.70	1311.51
2	9- कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)	264.59	0.41	265.00	66.09	198.91	198.88
3	10- ऊर्जा विभाग	3533.09	926.33	4459.42	3059.10	1400.32	1379.8
4	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	1341.66	199.26	1540.92	1134.35	406.57	405.31
5	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	728.11	272.76	1000.87	714.44	286.43	206.95
6	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	3529.22	289.31	3818.53	2780.61	1037.92	1016.13
7	21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रभाग)	1305.85	452.60	1758.45	1447.55	310.90	307.29
8	22- गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	4883.73	567.03	5450.76	5256.74	194.02	173.07
9	23- उद्योग विभाग	431.08	11.90	442.98	272.47	170.51	170.51
10	26- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	254.49	28.80	283.29	142.88	140.41	137.02
11	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	1789.76	50.30	1840.06	641.45	1198.61	1198.41
12	39- गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)	718.82	407.88	1126.70	437.42	689.28	687.28
13	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	698.54	73.24	771.78	523.63	248.15	240.56
14	41- सड़क निर्माण विभाग	427.98	0.30	428.28	247.05	181.23	163.49
15	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	5586.94	1360.16	6947.1	4452.58	2494.52	2494.47
16	47-परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	233.38	70.86	304.24	177.31	126.93	126.93
17	48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग)	2930.18	429.66	3359.84	2535.14	824.70	823.99
18	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग	1616.69	120.39	1737.08	1210.71	526.37	515.52
19	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	243.09	0.32	243.41	58.79	184.62	184.62
20	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	1945.38	155.70	2101.08	950.56	1150.52	1060.72
21	56- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज प्रभाग)	1978.09	875.89	2853.98	2482.11	371.87	371.86
22	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	2097.62	21.29	2118.91	1457.62	661.29	661.10

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

23	59- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग)	7222.34	414.85	7637.19	6400.54	1236.65	1236.45
24	60- महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग	4291.59	634.87	4926.46	3911.60	1014.86	1007.83
	<b>कुल</b>	<b>51282.81</b>	<b>7507.29</b>	<b>58790.10</b>	<b>42422.81</b>	<b>16367.29</b>	<b>16079.70</b>
<b>पूँजीगत (दत्तमत)</b>							
25	3- भवन निर्माण विभाग	587.17	90.00	677.17	458.51	218.66	218.66
26	10- ऊर्जा विभाग	1790.13	0.00	1790.13	89.32	1700.81	1700.81
27	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	602.22	161.08	763.30	347.69	415.61	415.42
28	22- गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	674.86	428.46	1103.32	808.23	295.09	293.30
29	26- श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग	108.82	32.87	141.69	18.36	123.33	123.33
30	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	750.00	1.00	751.00	538.73	212.27	212.11
31	41- सड़क निर्माण विभाग	4700.00	50.00	4750	3674.33	1075.67	1075.22
32	42- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	538.11	2.39	540.50	416.40	124.10	121.51
33	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास प्रभाग)	2195.8	0	2195.80	1574.72	621.08	627.11
	<b>कुल</b>	<b>11947.11</b>	<b>765.80</b>	<b>12712.91</b>	<b>7926.29</b>	<b>4786.62</b>	<b>4787.47</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>63229.92</b>	<b>8273.09</b>	<b>71503.01</b>	<b>50349.10</b>	<b>21153.91</b>	<b>20867.17</b>



**परिशिष्ट 3.5**  
**मार्च महीने के अंत में ₹ 10 करोड़ व अधिक की प्रत्यर्पित राशि**  
(संदर्भ: कंडिका 3.3.8)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक	बचत (-)/ आधिक्य(+)	प्रत्यर्पण की राशि
<b>राजस्व</b>							
1	1	3230.59	143.18	3373.77	2062.07	1311.70	1311.51
2	2	268.22	5.44	273.66	212.65	61.01	60.11
3	3	119.59	0.11	119.70	91.04	28.66	28.55
4	4	54.35	11.83	66.18	42.14	24.04	31.52
5	6	61.33	340.81	402.14	348.16	53.98	53.73
6	9	264.59	0.41	265.00	66.09	198.91	198.88
7	10	3533.09	926.33	4459.42	3059.10	1400.32	1379.80
8	12	64.53	15.90	80.43	58.77	21.66	21.66
9	17	80.88	17.22	98.11	84.2	13.90	13.90
10	18	1341.66	199.26	1540.93	1134.35	406.58	405.31
11	19	728.11	272.76	1000.87	714.44	286.42	206.95
12	20	3529.22	289.31	3818.53	2780.61	1037.91	1016.13
13	21	1305.85	452.60	1758.45	1447.55	310.90	307.29
14	22	4883.73	567.03	5450.76	5256.74	194.02	173.07
15	23	431.08	11.90	442.98	272.47	170.51	170.51
16	24	180.67	23.34	204.01	192.37	11.64	12.18
17	26	254.49	28.80	283.29	142.88	140.41	137.02
18	27	387.67	52.57	440.24	360.98	79.26	69.27
19	29	63.77	15.12	78.89	57.46	21.43	21.43
20	35	336.48	3.45	339.93	270.39	69.54	67.63
21	36	1789.76	50.30	1840.06	641.45	1198.61	1198.41
22	38	26.43	8.82	35.25	24.90	10.35	10.35
23	39	718.82	407.88	1126.70	437.42	689.27	687.28
24	40	698.54	73.25	771.79	523.63	248.15	240.56
25	41	427.98	0.30	428.28	247.05	181.23	163.49
26	42	5586.94	1360.16	6947.10	4452.58	2494.52	2494.47
27	43	307.69	18.08	325.77	229.94	95.83	95.83
28	45	192.19	0.08	192.27	146.53	45.74	45.74
29	46	91.55	0.17	91.72	72.82	18.90	18.9
30	47	233.38	70.86	304.24	177.31	126.93	126.93
31	48	2930.18	429.66	3359.84	2535.14	824.70	823.99
32	49	407.54	1.14	408.68	318.54	90.14	90.13
33	50	111.83	0.08	111.91	75.33	36.58	36.58
34	51	1616.69	120.39	1737.08	1210.71	526.37	515.52
35	52	83.45	2.86	86.31	70.26	16.05	16.03
36	53	73.10	0	73.10	58.68	14.42	14.41
37	54	243.09	0.32	243.41	58.79	184.62	184.62
38	55	1945.38	155.70	2101.08	950.56	1150.52	1060.72
39	56	1978.09	875.89	2853.98	2482.11	371.87	371.86

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

40	58	2097.62	21.29	2118.91	1457.62	661.29	661.10
41	59	7222.34	414.85	7637.19	6400.54	1236.65	1236.45
42	60	4291.59	634.87	4926.46	3911.6	1014.86	1007.83
	<b>कुल</b>	<b>54194.08</b>	<b>8024.32</b>	<b>62218.42</b>	<b>45137.97</b>	<b>17080.40</b>	<b>16787.65</b>
<b>पूँजीगत</b>							
42	1	114.60	0	114.6	61.76	52.84	52.84
43	3	587.17	90.00	677.17	458.51	218.66	218.66
44	8	35.01	0.15	35.16	3.41	31.75	31.75
45	9	83.50	0	83.50	47.98	35.52	35.52
46	10	1790.13	0	1790.13	89.32	1700.81	1700.81
47	11	10.00	2.74	12.74	2.74	10.00	10.00
48	12	78.24	0.01	78.25	54.52	23.73	23.72
49	20	602.22	161.08	763.30	347.69	415.61	415.42
50	22	674.86	428.46	1103.32	808.23	295.09	293.30
51	26	108.82	32.87	141.69	18.36	123.33	123.33
52	30	100.20	2.04	102.24	57.63	44.61	44.61
54	36	750.00	1.00	751.00	538.73	212.27	212.11
55	41	4700.00	50.00	4750.00	3674.33	1075.67	1075.22
56	42	538.11	2.39	540.50	416.40	124.10	121.51
57	43	260.00	0	260.00	226.20	33.80	33.80
58	45	20.01	0	20.01	7.04	12.97	12.97
59	46	92.50	0	92.50	44.46	48.04	48.04
60	47	22.01	0	22.01	9.20	12.81	12.81
61	48	38.15	0.50	38.65	23.59	15.06	15.06
62	49	1940.04	0	1940.04	1169.93	770.11	767.07
63	50	579.56	0.80	580.36	158.85	421.51	421.55
64	51	161.50	2.50	164.00	107.73	56.27	56.27
65	52	48.20	4.00	52.20	24.89	27.31	27.31
66	53	42.26	12.00	54.26	38.67	15.59	14.03
67	55	2195.80	0	2195.80	1574.72	621.08	627.11
68	58	56.00	0	56.00	0	56.00	56.00
69	60	25.57	9.89	35.46	0.86	34.60	24.71
	<b>कुल</b>	<b>15654.46</b>	<b>800.43</b>	<b>16454.89</b>	<b>9965.75</b>	<b>6489.14</b>	<b>6475.53</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>69848.54</b>	<b>8824.75</b>	<b>78673.31</b>	<b>55103.72</b>	<b>23569.54</b>	<b>23263.18</b>

**परिशिष्ट 3.6**  
**2019-20 के दौरान अनुदान/विनियोजन से अधिक का संवितरण**  
(संदर्भ: कंडिका 3.3.8.1)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-109-01 (CS)	कृषि कर्म	0.00	0.00	0.00	0.44	0.44
3	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-789-99	कृषि कर्म	2.19	0.01	2.17	2.18	0.00
4	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-796-99	कृषि कर्म	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05
5	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-796-A1	कृषि कर्म	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19
6	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-796-AG	कृषि कर्म	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15
7	3- भवन निर्माण विभाग	2059-80-001-04	लोक निर्माण कार्य	52.85	14.68	38.17	38.17	0.00
8	3- भवन निर्माण विभाग	2059-80-001-12	लोक निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	3- भवन निर्माण विभाग	2059-80-053-02	लोक निर्माण कार्य	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
10	3- भवन निर्माण विभाग	2059-80-053-02	लोक निर्माण कार्य	0.13	0.07	0.06	0.07	0.01
11	3- भवन निर्माण विभाग	4059-01-051-39	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत व्यय	45.00	44.11	0.89	0.99	0.10
12	3- भवन निर्माण विभाग	4059-01-051-39	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत व्यय	30.00	19.56	10.44	10.49	0.05
13	3- भवन निर्माण विभाग	4059-01-796-39	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत व्यय	67.50	57.61	9.89	10.01	0.12
14	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	2013-00-108-01	मंत्री परिषद्	2.00	1.69	0.31	0.49	0.19
15	4- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग)	2070-00-115-02	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	10.71	10.71	0.00	7.30	7.30

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य
16	5-राज्यपाल सचिवालय	2012-03-103-02	राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल / संघशासित प्रदेश के प्रशासक	0.73	0.37	0.37	0.37	0.00
17	7- मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग)	2070-00-104-04	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	29.54	0.23	29.31	29.32	0.00
18	10- ऊर्जा विभाग	2070-00-800-08	लोक निर्माण कार्य	42.37	4.50	37.86	37.99	0.12
19	12-योजना-सह-वित्त-विभाग (वित्त प्रभाग)	2058-00-105-01	लेखन सामग्री एवं मुद्रण	7.50	1.74	5.76	5.76	0.00
20	13- ब्याज भुगतान	2049-01-101-01	ब्याज भुगतान	2795.00	0.00	2795.00	2807.56	12.56
21	13- ब्याज भुगतान	2049-01-200-15	ब्याज भुगतान	473.00	0.00	473.00	709.05	236.05
22	13- ब्याज भुगतान	2049-03-104-01	ब्याज भुगतान	225.00	0.00	225.00	235.24	10.24
23	13- ब्याज भुगतान	2049-04-101-03	ब्याज भुगतान	32.57	0.00	32.57	73.39	40.82
24	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-101-26	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-101-27	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-101-28	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
27	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-101-110	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	0.00	517.45	517.45
28	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-101-111	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	0.00	474.40	474.40
29	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-101-112	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	0.00	599.89	599.89
30	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-101-113	राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण	0.00	0.00	0.00	252.24	252.24
31	14- ऋणों का पुनर्भुगतान	6004-02-105-01	केंद्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	104.96	0.00	104.96	108.41	3.45
32	15-पेंशन	2071-01-101-01	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	0.00	0.00	0.00	261.91	261.91
33	15-पेंशन	2071-01-101-06	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	3351.59	0.00	3351.59	3538.44	186.85
34	15-पेंशन	2071-01-101-10	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	10.00	0.00	10.00	13.42	3.42
35	15-पेंशन	2071-01-102-04	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	300.00	0.00	300.00	306.09	6.09

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य
36	15-पेंशन	2071-01-104-03	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	35.00	0.00	35.00	35.25	0.25
37	15-पेंशन	2071-01-105-03	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22
38	15-पेंशन	2071-01-105-05	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	150.00	0.00	150.00	237.77	87.77
39	15-पेंशन	2071-01-105-06	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	0.00	0.00	0.00	3.49	3.49
40	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-796-03	वानिकी तथा वन्य प्राणी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-796-05	वानिकी तथा वन्य प्राणी	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
42	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-796-39	वानिकी तथा वन्य प्राणी	2.78	0.66	2.12	2.14	0.02
43	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-01-110-01	वानिकी तथा वन्य प्राणी	19.84	4.36	15.48	15.48	0.00
44	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-02-110-03	वानिकी तथा वन्य प्राणी	2.70	1.33	1.37	1.42	0.05
45	19- वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	2406-02-110-03	वानिकी तथा वन्य प्राणी	1.80	0.88	0.92	0.94	0.02
46	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-110-69	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	45.00	0.46	44.54	44.60	0.06
47	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-01-796-68	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	10.00	1.47	8.53	8.58	0.05
48	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-03-103-03	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	125.48	31.70	93.77	93.77	0.00
49	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-101-10	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	20- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2210-06-102-01	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	2.98	1.11	1.87	1.89	0.02
51	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-101-06	पुलिस	141.82	4.08	137.73	137.95	0.22
52	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-101-AA	पुलिस	0.05	0.00	0.05	0.06	0.01
53	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-104-04	पुलिस	218.17	26.52	191.65	191.67	0.02
54	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-104-05	पुलिस	321.92	8.47	313.45	313.46	0.01

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य
55	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-109-01	पुलिस	2663.85	26.82	2637.03	2637.72	0.69
56	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2055-00-111-AJ	पुलिस	0.32	0.00	0.32	0.39	0.07
57	22- गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग)	2070-00-107-02	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1.50	0.25	1.25	1.38	0.12
58	24-सूचना एवं जन संपर्क विभाग	2220-01-001-01	सूचना एवं प्रचार	10.61	1.28	9.33	9.86	0.53
59	26- श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग	4250-00-796-06	अन्य समाजिक सेवाओं पर पुंजीगत व्यय	9.50	9.35	0.14	0.26	0.11
60	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-101-01	ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	4.91	0.24	4.68	4.69	0.02
61	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-102-02	ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	39.01	1.66	37.35	37.47	0.12
62	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	2215-01-102-14	ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	14.00	12.87	1.13	1.14	0.01
63	36- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	4215-01-796-02	ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	211.90	23.63	188.27	188.30	0.02
64	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2029-00-102-19	सर्वेक्षण एवं निपटान संचालन	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07
65	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2070-00-115-03	गेस्ट हाउस, सरकारी छात्रावास	4.25	0.89	3.36	3.36	0.00
66	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2070-00-115-03	गेस्ट हाउस, सरकारी छात्रावास	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09
67	40- राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग)	2070-00-796-03	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13
68	41- सड़क निर्माण विभाग	2075-00-791-01	विनिमय द्वारा हानि	4.50	4.50	0.00	2.02	2.02
69	41- सड़क निर्माण विभाग	5054-03-796-01	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	1744.00	92.90	1651.10	1651.45	0.35
70	41- सड़क निर्माण विभाग	5054-03-799-01	उंचत	0.00	0.00	0.00	5.72	5.72
71	49- जल संसाधन विभाग	3451-80-789-13	अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना	127.00	35.78	91.22	91.57	0.36
72	49- जल संसाधन विभाग	4700-80-796-12	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	300.00	150.97	149.03	154.60	5.57
73	49- जल संसाधन विभाग	4700-80-796-12	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	120.00	71.48	48.52	48.73	0.21
74	49- जल संसाधन विभाग	4700-80-796-13	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	140.00	74.21	65.79	65.88	0.09
75	49- जल संसाधन विभाग	4701-03-799-01	उंचत	0.00	0.00	0.00	20.45	20.45

क्र.सं.	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोग	कुल	व्यय	आधिक्य
76	49- जल संसाधन विभाग	4701-80-052-70	उपकरण एवं औजार	6.50	5.50	1.00	1.01	0.01
77	49- जल संसाधन विभाग	4701-80-796-74	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	33.20	27.10	6.10	6.11	0.01
78	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	4702-00-796-18	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	13.25	8.74	4.51	5.01	0.51
79	50- जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)	4702-00-796-37	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2.00	1.67	0.33	0.35	0.02
80	51- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण प्रभाग)	2225-03-277-06	शिक्षा	3.00	1.93	1.07	2.63	1.56
81	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	2515-00-001-28	निर्देशन एवं प्रशासन	125.00	72.76	52.24	52.49	0.25
82	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	4515-00-103-04	ग्रामीण विकास	630.00	232.24	397.76	411.87	14.11
83	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	4515-00-103-10	ग्रामीण विकास	252.00	60.90	191.10	194.84	3.74
84	55- ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य प्रभाग)	4515-00-796-10	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	288.00	56.86	231.14	240.68	9.54
85	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	2202-02-109-66	सरकारी सेकेंडरी स्कूल	0.00	0.00	0.00	2.07	2.07
86	58- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	2202-02-796-15	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03

**परिशिष्ट 3.7**

**पूर्व के वर्षों के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित**

(संदर्भ: कंडिका 3.3.8.2)

वर्ष	अनुदान/विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन/विभाग का नाम	आधिक्य राशि (₹ करोड़ में)
2001-02	25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	*
2001-02	32	विधानमंडल	0.04
2002-03	32	विधानमंडल	0.08
2003-04	46	पर्यटन विभाग	0.29
2004-05	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	@
2006-07	38	निबंधन विभाग	\$
2010-11	32	विधानमंडल	0.10
2011-12	14	ऋणों की अदायगी	219.56
2011-12	15	पेंशन	200.60
2011-12	25	संस्थागत वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	^
2012-13	7	निगरानी	0.07
2012-13	14	ऋणों की वापसी	556.01
2012-13	15	पेंशन	703.44
2012-13	42	ग्रामीण विकास विभाग	3.66
2013-14	13	ब्याज भुगतान	139.42
2013-14	14	ऋणों की वापसी	181.58
2013-14	15	पेंशन	373.05
2014-15	13	ब्याज भुगतान	191.68
2014-15	42	ग्रामीण विकास विभाग	169.53
2016-17	14	ऋणों की अदायगी	10.42
2016-17	32	विधान सभा	0.33
2017-18	13	ब्याज भुगतान	193.69
2017-18	15	पेंशन	71.81
<b>कुल</b>			<b>3,015.37</b>

स्रोत : संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

\*आधिक्य राशि मात्र ₹ 8,807 था।

@ आधिक्य राशि मात्र ₹ 1,072 था।

\$ आधिक्य राशि मात्र ₹ 81,665 था।

^ आधिक्य राशि मात्र ₹ 11,160 था।



## परिशिष्ट 3.8

योजनाओं का विवरण (₹ एक करोड़ व अधिक) जिनके लिए प्रावधान किया गया था  
लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया  
(संदर्भ: कंडिका 3.4.3)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
1	1- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग)	2401-00-104- बी.डी.लघु सिंचाई योजना (एस.एस.)	15.00	0	शून्य
2		2401-00-105-ए.वी. - मृदा स्वास्थ्य एवं उत्पादकता प्रबंधन राष्ट्रीय योजना (सी.ए.एस.सी.)	1.26	0	शून्य
3		2401-00-105-B7 - मृदा सुधार एवं मृदा प्रबंधन की योजना (सी.ए.एस.एस.)	3.00	0	शून्य
4		2401-00-109-28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना (सी.ए.एस.एस.)	7.50	0	शून्य
5		2401-00-115-बी9- संकट एवं कृषि सहायता किसानों के लिए आकस्मिक निधि (एस.एस.)	1.50	0	शून्य
6		2401-00-195- बी3- ब्याज माफी (एस.एस.)	6.00	0	शून्य
7		2401-00-789-28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना (CASS)	2.50	0	शून्य
8		2401-00-789- बी3-ब्याज माफी (एस.एस.)	2.00	0	शून्य
9		2401-00-789- बी7- मृदा सुधार एवं मृदा प्रबंधन की योजना	1.00	0	शून्य
10		2401-00-789 - बी डी-सूक्ष्म सिंचाई योजना (एस.एस.)	5.00	0	शून्य
11		2401-00-796-28- राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना (सी.ए.एस.एस.)	15.00	0	शून्य
12		2401-00-796-ए 0 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (सी.ए.एस.सी.)	2.88	0	शून्य
13		2401-00-796- ए 0 नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (सी.ए.एस.सी.)	1.92	0	शून्य
14		2401-00-796- ए टी. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन (सी.ए.एस.सी.)	1.80	0	शून्य
15		2401-00-796- ए टी. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकनाइजेशन (सी.ए.एस.एस.)	1.20	0	शून्य
16		2401-00-796- ए वि-नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी (सी.ए.एस.सी.)	2.52	0	शून्य
17		2401-00-796- ए वि - नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ सॉयल हेल्थ फर्टिलिटी (सी.ए.एस.एस.)	1.68	0	शून्य
18		2401-00-789-बी7 मृदा सुधार एवं मृदा प्रबंधन की योजना, (एस.एस.)	6.00	0	शून्य
19		2401-00-796-बी9 असहाय कृषकों तथा कृषि तथा कृषि हेल्पलाइन के लिए आकस्मिकता कोष (एस.एस.)	3.00	0	शून्य
20		2401-00-796-बी.डी सूक्ष्म सिंचाई योजना (एस.एस.)	30.00	0	शून्य
21		4401-00-796-12-आधारभूत संरचनाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण तथा ग्रामीण कृषि हाट का निर्माण (एस.एस.)	2.40	0	शून्य
22	2- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन)	2403-00-106-ए2- कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा समेकित खेती हेतु पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का विकास (एस.एस.)	4.00	0	शून्य

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
23	प्रभाग)	2403-00-789-A2- कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा समेकित खेती हेतु पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का विकास (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
24		2403-00-796-84- इन्टरग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट (एस.एस.)	12.00	0	शून्य
25		2403-00-796-ए. 2 कृषि विज्ञान केन्द्र के द्वारा समेकित खेती हेतु पशु प्रजनन प्रक्षेत्र का विकास (एस.एस.)	3.00	0	शून्य
26		4403-00-101-07- पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण (एस.एस.)	1.40	0	शून्य
27		4403-00-796-07- पशु औषधालयों का आधुनिकीकरण (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
28	8-परिवहन विभाग (नागरिक उड्डयन	5053-02-102-09- देवघर विमानपत्तन का विकास एवं विस्तारीकरण (एस.एस.)	25.00	0	शून्य
29	प्रभाग)	5053-02-796-01 बिरसा मुंडा विमानपत्तन के विस्तारीकरण के लिए भूमि अधिग्रहण	1.00	0	शून्य
30		5053-02-796-03 राँची विमानपत्तन पर राज्य हवाई बेस के लिए निधि आवंटन (एस.एस.)	2.00	0	शून्य
31	9- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता	2425-00-107-27 फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रीमियम सबसिडी एवं अन्य व्यय तथा किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (एस.एस.)	42.00	0	शून्य
32	प्रभाग)	2425-00-107-62-एपेक्स और अन्य सहकारी समितियों के लिए अनुदान (एस.एस.)	9.00	0	शून्य
33		2425-00-108-60 मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लैम्पस/पैक्स एवं अन्य सहकारी समितियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कम्प्युटरीकरण न के लिए अनुदान (एस.एस.)	3.00	0	शून्य
34		2425-00-789-27- फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रीमियम सबसिडी एवं अन्य व्यय तथा किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (एस.एस.)	28.00	0	शून्य
35		2425-00-789-60 मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लैम्पस/पैक्स एवं अन्य सहकारी समितियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कम्प्युटरीकरण न के लिए अनुदान (एस.एस.)	2.00	0	शून्य
36		2425-00-789-62- एपेक्स और अन्य सहकारी समितियों के लिए अनुदान (एस.एस.)	6.00	0	शून्य
37		2425-00-789-63- सूचना प्रसार, सेमिनार, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, आलेखन एवं सहकारिता प्रक्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों के प्रचार-प्रसार तथा कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु अनुदान (एस.एस.)	3.00	0	शून्य
38		2425-00-796-27- फसल बीमा योजना अंतर्गत प्रीमियम सबसिडी एवं अन्य व्यय तथा किसानों के फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु अनुदान (एस.एस.)	70.00	0	शून्य
39		2425-00-796-60- मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लैम्पस/पैक्स एवं अन्य सहकारी समितियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कम्प्युटरीकरण न के लिए अनुदान (एस.एस.)	5.00	0	शून्य
40		2425-00-796-62- एपेक्स और अन्य सहकारी समितियों के लिए अनुदान (एस.एस.)	15.00	0	शून्य

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
41	10-उर्जा विभाग	2801-01-052-10-ग्रामीण विद्युतीकरण (एस.एस.)	294.50	0	शून्य
42		2801-01-789-10- ग्रामीण विद्युतीकरण (एस.एस.)	57.00	0	शून्य
43		2801-01-796-10- ग्रामीण विद्युतीकरण (एस.एस.)	123.50	0	शून्य
44		2801-05-052-05 -एकीकृत उर्जा विकास योजना (आई.पी.डी.एस. के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी-चरण II (एस.एस.)	62.00	0	शून्य
45		2801-05-789-05- एकीकृत उर्जा विकास योजना (आई.पी.डी.एस. के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी-चरण II -II (एस.एस.)	12.00	0	शून्य
46		2801-05-796-05 एकीकृत उर्जा विकास योजना (आई.पी.डी.एस. के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी-चरण II -II (एस.एस.)	26.00	0	शून्य
47		2801-06-052-01- तिलका मांड्री कृषि पम्प	1.00	0	शून्य
48		2801-80-101-02- झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (स्था. व्यय.) के लिए अनुदान	4.58	0	शून्य
49		2801-80-796-10-जे.एस.ई.आर.सी के नए भवन के निर्माण के लिए सहायता-अनुदान (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
50		2801-80-796-18-उदय योजना के अधीन जे.बी.वी.एन.एल को अनुदान (एस.एस.)	100.00	0	शून्य
51		6801-00-201-24- प्रदूषण नियंत्रण उपाय (एस.एस.)	5.00	0	शून्य
52		6801-00-201-36- वार्षिक विकास कार्यक्रम एवं अति विशाल उर्जा परियोजना के लिए झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण (एस.एस.)	170.50	0	शून्य
53		6801-00-202-01- कोयला खदानों एवं उर्जा प्लांट (संयंत्र) नई योजना (एस.एस.)	15.00	0	शून्य
54	6801-00-205-23-आर-ए. पी.डी.आर.पी. भाग- बी (एस.एस.)	124.00	0	शून्य	
55	6801-00-205-34-एकीकृत उर्जा विकास योजना (आई.पी.डी.एस.) (एस.एस.)	120.52	0	शून्य	
56	6801-00-205-39 झारखण्ड उर्जा प्रणाली सुधार परियोजना के अधीन झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (एस.एस.)	62.00	0	शून्य	
57	6801-00-789-23 आर-ए. पी.डी.आर.पी. पार्ट-बी (एस.एस.)	24.00	0	शून्य	
58	6801-00-789-34-समेकित विकाश उर्जा योजना (आई.डी.पी.एस) (एस.एस.)	23.33	0	शून्य	
59	6801-00-789-36- झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण	33.00	0	शून्य	
60	6801-00-789-39 झारखण्ड उर्जा प्रणाली सुधार परियोजना के अधीन झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण (एस.एस.)	12.00	0	शून्य	
61	6801-00-796-23- आर-ए. पी.डी.आर.पी. पार्ट-बी (एस.एस.)	52.00	0	शून्य	
62	6801-00-796-34- समेकित विकाश उर्जा योजना (आई.डी.पी.एस) (एस.एस.)	50.54	0	शून्य	
63	6801-00-796-36- झारखण्ड उर्जा प्रणाली सुधार परियोजना के अधीन झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण (एस.एस.)	71.50	0	शून्य	

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
64		6801-00-796-39- झारखण्ड उर्जा प्रणाली सुधार परियोजना के अधीन झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ऋण (एस.एस.)	26.00	0	शून्य
65	11- उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	4047-00-796-07- राज्य उत्पाद भवन का निर्माण (एस.एस.)	10.00	0	शून्य
66	12- योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग)	2075-00-791-02-राज्य सरकार पर बकाया के समतुल्य रुपये का समायोजन	2.00	0	शून्य
67		7610-00-202-03-मंत्री इत्यादि को मोटरगाड़ी क्रय करने के लिए अग्रिम (स्था.व्यय.)	1.00	0	शून्य
68		7610-00-202-04-विधान मंडल के सदस्यों को मोटरगाड़ी क्रय करने के लिए अग्रिम	3.00	0	शून्य
69	14- कर्ज की अदायगी	2048-00-101-01-निक्षेप निधि में योगदान (स्था.व्यय.)	280.16	0	शून्य
70	18- खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग	3456-00-102-03-अन्नपूर्णा योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एस.एस.)	2.05	0	शून्य
71		3456-00-102-35-कौशल विकास योजना (नई योजना) (एस.एस.)	1.85	0	शून्य
72		3456-00-102-43-मूल्य स्थिरीकरण कोष	1.85	0	शून्य
73		3456-00-102-44-जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को डिजिटल भार-मापक यंत्र वितरण (एस.एस.)	7.40	0	शून्य
74		3456-00-102-60-उपभोक्ता संरक्षण एवं प्रचार-प्रसार/सेमिनार आदि (एस.एस.)	1.85	0	शून्य
75		3456-00-102-61-चना वितरण योजना	55.50	0	शून्य
76		3456-00-102-63-उचित मूल्य दुकान संचालन अनुदान योजना (एस.एस.)	7.01	0	शून्य
77		3456-00-789-44-पीडीएस डिलरों को तोलने वाली डिजिटल मशीन का वितरण (एस.एस.)	2.60	0	शून्य
78		3456-00-789-61- चना वितरण योजना (एस.एस.)	19.50	0	शून्य
79		3456-00-789-63- उचित मूल्य दुकान संचालन उचित मूल्य दुकान संचालन (एस.एस.)	2.41	0	शून्य
80		3456-00-796-03- अन्नपूर्णा योजना (एस.एस.)	2.45	0	शून्य
81		3456-00-796-43-दर नियंत्रण निधि (एस.एस.)	2.50	0	शून्य
82		3456-00-796-44-पीडीएस डिलरों को तोलने वाली डिजिटल मशीन का वितरण	10.00	0	शून्य
83		3456-00-796-60-उभोक्ता संरक्षण एवं प्रचार/प्रसार/संगोष्ठी इत्यादि, (एस.एस.)	2.50	0	शून्य
84		3456-00796-61- चना वितरण योजना (एस.एस.)	75.00	0	शून्य
85		3456-00-796-62-पी. डी. एस. डीलर बीमा योजना (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
86		3456-00-796-63 उचित मूल्य दुकान संचालन अनुदान योजना (एस.एस.)	8.77	0	शून्य
87		4408-02-789-01- गोदाम निर्माण/नवीकरण (एस.एस.)	1.30	0	शून्य
88	19-वन एवं पर्यावरण विभाग	2406-01-101-46- ईको- टूरिज्म (एस.एस.)	3.00	0	शून्य
89		2406-01-101-56- झारखण्ड राज्य जलवायु परिवर्तन कार्यन्वयन इकाई (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
90		2406-01-101-57-वनरोपण योजनाओं का स्वतंत्र ऐजेंसी से मूल्यांकन (एस.एस.)	1.00	0	शून्य

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
91		2406-04-103-02- प्रतिपुरक वनरोपण (एस.एस.)	36.39	0	शून्य
92		2406-04-103-03-जल ग्रहण क्षेत्र शोधन योजना (एस.एस.)	2.50	0	शून्य
93		2406-04-103-07 अन्य (एस.एस.)	4.67	0	शून्य
94	20-स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं	2210-01-001-20-स्वास्थ्य एवं चिकित्सा परामर्शी शुल्क (एस.एस.)	20.00	0	शून्य
95	परिवार कल्याण विभाग	2210-01-001-75- सामान्य सेवा केन्द्र के माध्यम से टेलिमेडिसीन द्वारा होमियोपैथिक ईलाज	6.00	0	शून्य
96		2210-01-103-78- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (सी.ए.एस.सी.)	99.15	0	शून्य
97		2210-01-109-40 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मानव संसाधन (ए.एन.एम./जी.ए.एन. एम. स्कूल) (सी.ए.एस.एस.)	12.00	0	शून्य
98		2210-01-109-40 स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मानव संसाधन (ए.एन.एम./जी.ए.एन. एम. स्कूल)	8.00	0	शून्य
99		2210-01-110-55-निजी चिकित्सा महाविधालय स्थापना हेतु प्रोत्साहन (एस.एस.)	5.00	0	शून्य
100		2210-01-110-62- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम (सी.ए.एस.सी.)	1.20	0	शून्य
101		2210-01-789-77-मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (एस.एस.)	34.44	44.44	शून्य
102		2210-01-789-78- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (सी.ए.एस.सी.)	19.19	0	शून्य
103		2210-01-796-55- निजी स्वास्थ्य महाविधालय की स्थापना हेतु प्रोत्साहन (एस.एस.)	5.00	0	शून्य
104		2210-01-796-75- सामान्य सेवा केन्द्र द्वारा टेली मेडिसीन से होम्योपैथी ईलाज (सी.ए.एस.सी.)	6.00	0	शून्य
105		2210-01-796-78- प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (सी.ए.एस.सी.)	41.58	0	शून्य
106		2210-03-101-03- आदिम जनजातियों के स्वास्थ्य हेतु विशेष पैकेज (एस.एस.)	5.00	0	शून्य
107		2210-05-101-17- राष्ट्रीय आयुश मिशन (चाय वासा आर्युवेदिक मेडिकल कॉलेज) (सी.ए.एस.एस.)	4.75	0	शून्य
108		2210-05-105-16- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मानव संसाधन (चिकित्सा महाविधालय में पी. जी. कोर्स)	3.11	0	शून्य
109		2210-05-105-16- स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा अंतर्गत मानव संसाधन (चिकित्सा महाविधालय में पी. जी. कोर्स)	6.12	0	शून्य
110		2210-05-105-21- हजारीबाग, पलामू और दुमका में चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल (सी.ए.एस.सी.)	16.82		शून्य
111		2210-05-105-21- हजारीबाग, पलामू और दुमका में चिकित्सा महाविधालय एवं अस्पताल (सी.ए.एस.एस.)	77.14	0	शून्य
112		2210-05-105-22- जी.एन.एम. स्कूल से बी. एस. सी नर्सिंग कॉलेज में उन्नयन (सी.एस.एस.)	4.18	0	शून्य
113		2210-06-101-21-नेत्र विज्ञान संस्थान रिम्स को सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	2.00	0	शून्य

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
114		2210-06-112-19-तीन वर्ष बी.एस. सी सामुदायिक स्वास्थ्य पाठक्रम (एस.एस.)	10.00	0	शून्य
115	21- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	2202-03-102-बी1-मुख्यमंत्री फेलोसीप योजना (एस.एस.)	1.30	0	शून्य
116	विभाग (उच्च शिक्षा प्रभाग)	2202-03-796-बी1- मुख्यमंत्री फेलोसीप योजना (एस.एस.)	3.70	0	शून्य
117	22- गृह, कारा एवं	2056-00-101-04-ई अभियोजन परीक्षण (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
118	आपदा प्रबंधन	2056-00-796-04- ई अभियोजन परीक्षण (एस.एस.)	2.00	0	शून्य
119	विभाग (गृह प्रभाग)	4055-00-796-45-पुलिस आधुनिकीकरण के लिए उपकरणों का क्रय (सी.ए.एस.सी.)	3.68	12.32	शून्य
120		4055-00-796-45- पुलिस आधुनिकीकरण के लिए उपकरणों का क्रय (सी.ए.एस.एस.)	2.45	0	शून्य
121		4070-00-796-77-झारखण्ड अग्निशमन न सेवा के आधुनिकीकरण के लिए फार्म टैंडर उपकरण एवं फायर इंजन की खरीदी (एस.एस.)	6.85	0	शून्य
122		4070-00-796-84-होम गार्ड के सुदृढीकरण हेतु योजना (एस.एस.)	2.00	0	शून्य
123		4070-00-800-65- अग्नी सेवाओं सुदृढीकरण (एस.एस.)	1.47	0	शून्य
124	23-उद्योग विभाग	2851-00-796-18- प्राथमिक बुनकर सहकारिता समितियों का सुदृढीकरण (एस.एस.)	3.00	0	शून्य
125		2851-00-796-43- हैंडीक्राफ्ट विकास एवं हैंडलुम विकास हेतु स्थापना	4.00	0	शून्य
126		2851-00-796-55- खादी पार्क की स्थापना (एस.एस.)	1.20	0	शून्य
127		2852-80-102-10-औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधीकरण (एस.एस.)	20.00	0	शून्य
128		2852-80-102-19 भूमि अधिग्रहण हेतु अनुदान	2.00	0	शून्य
129		2852-80-102-74-झारखण्ड औद्योगिक निती 2012 के तहत औद्योगिक ईकायों को निवल वेट सबसिडी (एस.एस.) औद्योगिक	1.00	0	शून्य
130		2852-80-102-78-झारखण्ड खाद्य प्रसंसकरण औद्योगिक निती 2015	2.00	0	शून्य
131		2852-80-102-81 झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश उन्नयन नीति 2016 के तहत औद्योगिक ईकायों को अनुदान (एस.एस.)	35.00	0	शून्य
132		2852-80-102-86- शुरुआती अविश्रव पूंजीगत निधि (एस.एस.)	5.00	0	शून्य
133		2852-80-796-10 । औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधीकरण (एस.एस.)	40.00	0	शून्य
134		2852-80-796-76 सेन्ट्रल टुल रूम सुविधा हेतु अनुदान (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
135		4851-00-796-02- नीफ्ट केन्द्र की स्थापना (एस.एस.)	4.00	0	शून्य
136	26- श्रम, रोजगार, एवं कौशल विकास	4059-01-001-55-श्रम कार्यालय में भवन निर्माण (एस.एस.)	3.00	0	शून्य
137	विभाग	4250-00-203-04- एल. डब्लू. ई. जिले में युवाओं के कौशल विकास के लिए योजना (सी.ए.एस.सी.)	8.00	0	शून्य

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
138		4250-00-203-04- एल. डब्लू. ई. जिले में युवाओं के कौशल विकास के लिए योजना (सी.ए.एस.एस.)	4.00	0	शून्य
139		4250-00-796-04- एल. डब्लू. ई. जिले में युवाओं के कौशल विकास के लिए योजना (सी.ए.एस.एस.)	10.00	0	शून्य
140		4250-00-796-04- एल. डब्लू. ई. जिले में युवाओं के कौशल विकास के लिए योजना (सी.ए.एस.एस.)	8.00	0	शून्य
141	29- खनन एवं भूतत्व विभाग	4853-02-004-03- भू-तात्विक अन्वेषण इकाई का जीर्णोद्धार (एस.एस.)	5.00	0	शून्य
142	30- कल्याण	4225-80-277-20- बहुक्षेत्र विकास योजना (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
143	विभाग	4225-80-796-20- बहुक्षेत्र विकास योजना (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
144	(अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग)	4225-80-796-21- बहुक्षेत्र विकास योजना (सी.एस.एस.)	10.00	0	शून्य
145	41- स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	5054-03-052-06- मशीन एवं उपकरण (एस.एस.)	1.30	0	शून्य
146	47- परिवहन विभाग (परिवहन प्रभाग)	5055-00-190-02- परिवहन निदेशालय का सुदृढीकरण- भवनों का विवरण (एस.एस.)	5.00	0	शून्य
147	49- जल संसाधन विभाग	4701-80-789-65- छोटानागपुर एवं संचाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नई योजनाओं का (एस.एस.)	12.00	0	शून्य
148		4701-80-796-14- झारखण्ड सिंचाई भवन का निर्माण (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
149		4701-80-796-39- वाल्मी एवं सिंचाई भवन का निर्माण (एस.एस.)	1.10	0	शून्य
150		4701-80-800-65- छोटानागपुर एवं संचाल परगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत नई योजनाओं का निर्माण (एस.एस.)	16.65	0	शून्य
151		4701-80-800-66- जीर्ण वाहनों को पुनस्थापित एवं नई वाहनों का क्रय (एस.एस.)	4.00	0	शून्य
152	50 -जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) जल संसाधन विभाग	4702-00-101-24- नई योजना का भूगर्भ जल सर्वेक्षण/कृत्रिम भूगर्भ एवं जल संरक्षण (एस.एस.)	1.30	0	शून्य
153	(लघु सिंचाई प्रभाग)	4702-00-796-24- नई योजना का भूगर्भ जल सर्वेक्षण/कृत्रिम भूगर्भ एवं जल संरक्षण (एस.एस.)	1.50	0	शून्य
154		4702-00-796-31- सर्वेक्षण एवं अनुसंधान परामर्श एवं मुल्यांकन (एस.एस.)	1.00	0	शून्य
155	51- अनुसूचित जनजाति,	4225-01-789-02- बालक/ बालिका छात्रवास बृहत कार्य (सी.ए.एस.सी.)	2.00	0	शून्य
156	अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	4225-01-789-02- बालक/ बालिका छात्रवास बृहत कार्य (सी.ए.एस.सी.)	2.00	0	शून्य
157	(अनुसूचित जनजाति,	4225-01-789-19- आवासीय विधालयों जीर्णोद्धार एवं निर्माण (एस.एस.)	5.00	0	शून्य
158	अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग)	4225-02-277-05- आवासीय विधालयों जीर्णोद्धार एवं निर्माण (एस.एस.)	3.00	0	शून्य
159		4225-02-277-43- पी.वी.टी.जी. ग्राम उत्थान योजना	2.00	0	शून्य
160		4225-02-796-43- पी.वी.टी.जी. ग्राम उत्थान योजना	13.00	0	शून्य
161		4225-03-796-02- बालक/ बालिका छात्रवास बृहत कार्य (सी.ए.एस.सी.)	2.00	0	शून्य

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
162		4225-03-796-02- बालक/ बालिका छात्रावास बृहत कार्य (CASS)	2.00	0	शून्य
163	52- पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले विभाग	4202-03-102-09-खेल छात्रावास का निर्माण रख-रखाव एवं सामग्री आपूर्ति तथा क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में मैदान निर्माण (एस.एस.)	1.25	0	शून्य
164	(कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले प्रभाग)	4202-03-796--09- खेल छात्रावास का निर्माण रख-रखाव एवं सामग्री आपूर्ति तथा क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र में मैदान निर्माण (एस.एस.)	2.75	0	शून्य
165		4202-04-101-13-रवीन्द्र भवन ऑडिटोरियम का निर्माण, मरम्मत और स्थापना (सी.ए.एस.सी.)	1.80	0	शून्य
166		4202-04-101-13- रवीन्द्र भवन ऑडिटोरियम का निर्माण, मरम्मत और स्थापना (सी.ए.एस.सी.)	1.80	0	शून्य
167	53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)	4405-00-796-71 मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना (एस.एस.)	1.50	0	शून्य
168	54- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग)	4404-00-102-78- कैटल हॉस्टल (एस.एस.)	2.00	0	शून्य
169	58-स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (सेकेंडरी शिक्षा प्रभाग)	4202-02-202-78-नेतरहाट आवासीय विधालय और इंदिरा गांधी आवासीय विधालय के प्रतिरूप (ढाचे पर) तीन आवासीय विधालय (एस.एस.)	16.00	0	शून्य
170		4202-02-202-78- नेतरहाट आवासीय विधालय और इंदिरा गांधी आवासीय विधालय के प्रतिरूप (ढाचे पर) तीन आवासीय विधालय (एस.एस.)	40.00	0	शून्य
171	60-महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग परिशिष्ट	4235-02-103-77- कामकाजी महिला छात्रावास योजना (सी.ए.एस.सी.)	1.58	0	शून्य
172		4235-02-103-77- कामकाजी महिला छात्रावास योजना (सी.ए.एस.सी.)	1.06	0	शून्य
173		4235-02-106-74-विभिन्न स्कूलों/पुनर्वास केन्द्रों/ छात्रावासों/गृहों इत्यादि का निर्माण (एस.एस.)	3.00	0	शून्य
174		4235-02-796-73-आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण एवं उन्नयन (पूँजी) (सी.ए.एस.सी.)	3.26	0	शून्य
175		4235-02-103-73- आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण एवं उन्नयन (पूँजी) (सी.ए.एस.सी.)	2.18	0	शून्य
176		4235-02-796-77-कामकाजी महिला छात्रावास योजना (सी.ए.एस.सी.)	2.38	0	शून्य
177		4235-02-796-77- कामकाजी महिला छात्रावास योजना (सी.ए.एस.सी.)	1.58	0	शून्य
178		4235-02-796-78-नि: शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना (सी.एस.एस.)	12.97	0	शून्य
		<b>कुल</b>	<b>3118.08</b>	<b>56.76</b>	



**परिशिष्ट 3.9**  
**व्यय का वेग**  
(संदर्भ: कंडिका 3.5)

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	जनवरी	फ़रवरी	मार्च	4थी तिमाही का योग	4थी तिमाही के योग का वित्तीय वर्ष के योग से प्रतिशतता	वित्तीय वर्ष का योग	मार्च में व्यय का वित्तीय वर्ष के योग से प्रतिशतता
1	2435	0.20	1.30	2.68	4.17	70.59	5.91	45.27
1	2402	1.60	13.85	8.79	24.25	68.80	35.25	24.94
1	4402	0.45	13.96	16.63	31.03	50.31	61.68	26.96
9	4425		9.27	23.46	32.73	68.22	47.98	48.90
10	2810		155.00		155.00	100.00	155.00	0
19	2406	38.62	67.04	288.95	394.61	70.23	561.85	51.43
26	4250	0.00	2.68	12.25	14.93	83.50	17.88	68.51
36	2215	57.65	129.12	164.03	350.81	53.52	655.47	25.03
42	2501	162.63	150.22	63.51	376.36	61.93	607.69	10.45
43	2203	11.19	71.32	140.78	223.30	60.07	371.73	37.87
46	5452		0.57	43.73	44.31	99.66	44.46	98.37
47	3075		167.00		167.00	100.00	167.00	0
52	2204	3.25	6.93	18.21	28.39	53.17	53.40	34.11
53	4405	1.22	10.44	13.97	25.63	66.29	38.67	36.14
53	2405	4.86	7.04	20.17	32.07	54.65	58.69	34.36
54	2404	14.08	12.80	16.21	43.10	73.31	58.79	27.57
				<b>833.39</b>	<b>1,947.69</b>	<b>66.22</b>	<b>2,941.45</b>	<b>28.33</b>

**परिशिष्ट 3.10**

**विभाग को बजट प्रेषित करने वाले निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का ब्यौरा**  
(संदर्भ: कंडिका 3.6.4)

क्र. सं.	जिला	देर से बजट प्रेषित करने वाले उप-विकास आयुक्त	देर से बजट प्रेषित करने वाले जिला पंचायती राज अधिकारी	प्रखंड विकास पदाधिकारी				प्रखण्ड विकास पदाधिकारी जिन्होंने समय पर बजट भेजा
				जिले में प्रखंड विकास पदाधिकारियों की संख्या	देर से बजट प्रेषित करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों की संख्या	बजट प्रेषित करने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों की देरी (दिनों में)	जिला पंचायती राज अधिकारी को बजट नहीं प्रेषित करनेवाले प्रखंड विकास पदाधिकारियों की संख्या	
1	राँची	प्रेषित नहीं	28 दिन	18	11	5 to 32 दिन	7	0
2	गुमला	प्रेषित नहीं	33 दिन	12	1	30 दिन	11	0
3	हज़ारीबाग	प्रेषित नहीं	28 दिन	16	1	36 दिन	15	0
4	बोकारो	प्रेषित नहीं	26 दिन	9	8	1 to 5 दिन	0	1
5	धनबाद	प्रेषित नहीं	25 दिन	10	9	12 to 34 दिन	1	0
6	पूर्वी सिंहभूम	प्रेषित नहीं	63 दिन	11	10	9 to 37 दिन	1	0
7	सराईकेला खरसावाँ	प्रेषित नहीं	47 दिन	09	07	23 to 46 दिन	2	0
8	पश्चिमी सिंहभूम	04 दिन	04 दिन	18	10	01 to 04 दिन	5	3
	<b>कुल</b>			<b>103</b>	<b>57</b>		<b>42</b>	<b>4</b>

**परिशिष्ट 3.11**  
**बजट प्रावधान एवं इसकी उपयोगिता की विवरणी**  
(संदर्भ: कंडिका 3.6.5)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	शीर्ष	बजट प्रावधान /आबंटन	व्यय (प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार )	अव्ययित शेष
			1	2	(1-2)
1	राँची	14 <sup>वाँ</sup> वित्त आयोग	150.72	89.1	61.62
		आदिवासी विकास समिति	8.50	1.01	7.49
2	गुमला	14 <sup>वाँ</sup> वित्त आयोग	88.99	48.2	40.79
		आदिवासी विकास समिति	1.27	0.46	0.81
3	हज़ारीबाग	14 <sup>वाँ</sup> वित्त आयोग	127.66	62.81	64.85
		आदिवासी विकास समिति	6.70	0	6.7
4	बोकारो	14 <sup>वाँ</sup> वित्त आयोग	118.97	74.01	44.08
5	धनबाद	आदिवासी विकास समिति	3.31	2.41	0.9
6	पूर्वी सिंहभूम	14 <sup>वाँ</sup> वित्त आयोग	113.28	78	35.28
		आदिवासी विकास समिति	4.17	0.3	3.87
7	सराईकेला खरसावाँ	14 <sup>वाँ</sup> वित्त आयोग	70.06	60.41	9.65
		आदिवासी विकास समिति	6.62	0.33	6.29
8	पश्चिमी सिंहभूम	14 <sup>वाँ</sup> वित्त आयोग	121.61	79.15	42.42
		आदिवासी विकास समिति	4.80	0	4.80
<b>कुल</b>			<b>826.66</b>	<b>496.19</b>	<b>329.55</b>

**परिशिष्ट 3.12**  
**कुल बजट प्रावधान की अनुपयोगिता का ब्यौरा**  
 (संदर्भ: कंडिका 3.6.7)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	शीर्ष का नाम	केन्द्रीय/राज्य	प्रावधान (राशि)
1.	2515-00-001-42	42- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना	राज्य	30.00
2.	2515-00-001-52	52- पेयजल आपूर्ति की स्थापना, स्वच्छता , जिला परिषद् में शौचालय एवं सड़क प्रकाश प्रबंध (एल.ई.डी) तथा अन्य सूत्रों से आमदनी में बढत	राज्य	1.00
3.	2515-00-001-56	56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	केन्द्रीय	720.00
4.	2515-00-001-56	56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	राज्य	480.00
5.	2515-00-003-03	03- कर्मचारियों का प्रशिक्षण (अ ) पंचायत - दलपतियों का प्रशिक्षण	राज्य	1.00
6.	2515-00-101-06	06- पंचायत भवन का रख रखाव	राज्य	500.00
7.	2515-00-196-05	05- जिला बोर्ड के गैर शिक्षण कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतन एवं भत्तों हेतु सहायता	राज्य	26.66
8.	2515-00-198-45	45- 14वे वित्त आयोग की अनुशंषा पर सामान्य निष्पादन अनुदान	केन्द्रीय	19953.00
9.	2515-00-789-42	42- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना	राज्य	20.00
10.	2515-00-789-56	56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	केन्द्रीय	480.00
11.	2515-00-789-56	56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	राज्य	320.00
12.	2515-00-796-42	42- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना	राज्य	50.00
13.	2515-00-796-56	56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	केन्द्रीय	1200.00
14.	2515-00-796-56	56- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	राज्य	800.00
15.	3604-00-198-01	01- झारखण्ड ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत के नियत कार्य (6/4% कर )	राज्य	10.00
16.	6515-00-197-01	01- जिला एवं स्थानीय निधि समितियों को ऋण	राज्य	600.00
<b>कुल</b>				<b>25191.66</b>

**परिशिष्ट 3.13**  
**व्यय के वेग को दर्शाती विवरणी**  
(संदर्भ: कंडिका 3.6.10)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	शीर्ष का नाम	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
1.	20150010904	पंचायती चुनाव	10.00	10.00	100
2.	25150000158	दक्षता निर्माण एवं प्रशिक्षण	139.82	139.82	100
3.	25150078958	दक्षता निर्माण एवं प्रशिक्षण	54.00	54.00	100
4.	25150079658	दक्षता निर्माण एवं प्रशिक्षण	193.06	193.06	100
5.	25150000106	जिला पंचायत स्थापना- दलपतियों से संबन्धित व्यय	39.83	28.37	71.23
6.	25150078959	कार्यालयों / संस्थाओं का सुदृढीकरण / कार्यालयों/संस्थानों का उन्नयन	48.65	29.96	61.58
7.	25150079657	विभिन्न प्रकार की भवन परिसंपत्तियों का निर्माण/ मरम्मत/ नवीनीकरण	260.78	95.00	36.43
8.	25150010104	पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों को मानदेय का भुगतान/ दैनिक भत्ता/ यात्रा भत्ता का भुगतान	1251.63	423.57	33.84
9.	25150078957	विभिन्न प्रकार की भवन परिसंपत्तियों का निर्माण/ मरम्मत/ नवीनीकरण	44.46	12.49	28.09
10.	25150079659	कार्यालयों / संस्थाओं का सुदृढीकरण / उन्नयन	92.23	25.47	27.62

**परिशिष्ट 3.14**  
**वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम दिन में अभ्यर्पण**  
(संदर्भ: कंडिका 3.6.11)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	कार्यालय	अभ्यर्पित राशि/ शेष राशि	अभ्यर्पण तिथि	टिपणी
1	रांची	जिला पंचायती राज अधिकारी	12.67	31.03.2020	
		डी डी सी - सह- सी ई ओ , जिला परिषद्	513.09	31.03.2020	
		डी डी सी , डी आर डी ए / विकास शाखा	11.53	31.03.2020	
2	गुमला	जिला पंचायती राज अधिकारी	266.85	31.03.2020	
		डी डी सी -सह- सी ई ओ , जिला परिषद्	15.61	31.03.2020	
		डी डी सी , डी आर डी ए / विकास शाखा	10.51	30.03.2020	
3	हजारीबाग	जिला पंचायती राज अधिकारी	833.91	31.03.2020	
		डी डी सी -सह- सी ई ओ , जिला परिषद्			अभ्यर्पण प्रतिवेदन विभाग को नहीं जमा किया गया
		डी डी सी , डी आर डी ए / विकास शाखा	25.94	31.03.2020	
4	बोकारो	जिला पंचायती राज अधिकारी	79.56	31.03.2020	
		डी डी सी -सह- सी ई ओ , जिला परिषद्	19.61	31.03.2020	
		डी डी सी , डी आर डी ए / विकास शाखा	0.34	31.03.2020	
5	धनबाद	जिला पंचायती राज अधिकारी	37.24	31.03.2020	
		डी डी सी -सह- सी ई ओ , जिला परिषद्			अभ्यर्पण प्रतिवेदन विभाग को नहीं जमा किया गया
		डी डी सी , डी आर डी ए / विकास शाखा	2.21	31.03.2020	
6	पूर्वी सिन्धभूम	जिला पंचायती राज अधिकारी	1.56		अभ्यर्पण प्रतिवेदन विभाग को नहीं जमा किया गया
		डी डी सी -सह- सी ई ओ , जिला परिषद्			अभ्यर्पण प्रतिवेदन विभाग को नहीं जमा किया गया
		डी डी सी , डी आर डी ए / विकास शाखा	2.16	31.03.2020	
7	सराइकेला खरसावाँ	जिला पंचायती राज अधिकारी	32.70	31.03.2020	
		डी डी सी -सह- सी ई ओ , जिला परिषद्	10.55	31.03.2020	
		डी डी सी , डी आर डी ए / विकास शाखा	1.11	31.03.2020	
8	पश्चिमी सिन्धभूम	जिला पंचायती राज अधिकारी	34.61		
		डी डी सी -सह- सी ई ओ , जिला परिषद्			अभ्यर्पण प्रतिवेदन विभाग को नहीं जमा किया गया
		डी डी सी , डी आर डी ए / विकास शाखा	15.37		अभ्यर्पण प्रतिवेदन विभाग को नहीं जमा किया गया
<b>कुल</b>			<b>1927.13</b>		

**परिशिष्ट 3.15**  
**आदिवासी विकास समिति की संख्या तथा निधि अंतरण को दर्शाती विवरणी**  
(संदर्भ: कंडिका 3.6.13)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	ब्लाक की संख्या	पंचायत की संख्या	गाँव की संख्या	गठित ए वी एस की संख्या	ए वी एस को निधि	अ. अ.	योजना की संख्या	योजना शुरू किया गया	अनुमानित लागत	प्रथम किश्त	दूसरी किश्त	कुल	दूसरी किश्त के लिए योजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	पश्चिमी सिंहभूम	18	217	1658	1588	216	447.24	408	399	437.54	175.01	0	175.01	0
2	रांची	18	305	1321	1321	172	251.09	402	402	251.09	79.00	21.85	100.85	0
3	सराइकेला-खरसावाँ	9	132	1145	1080	24	273.26	122	57	82.14	32.86	0	32.86	0
4	पूर्वी सिंहभूम	11	231	1620	1513	131	570.87	253	213	451.21	180.48	32.65	213.13	36
5	धनबाद	10	256	1126	1078	194	638.5	538	538	638.5	270.23	58.10	328.33	66
6	बोकारो	9	249	695	673	81	297.62	129	129	297.62	119.05	9.33	128.38	11
7	गुमला	12	159	948	941	55	224.35	81	81	224.35	89.75	0	89.75	0
8	हजारीबाग	16	257	1324	1149	0	153.71	78	0	0	0	0	0	0
	<b>कुल</b>	<b>103</b>	<b>1806</b>	<b>9837</b>	<b>9343</b>	<b>873</b>	<b>2856.64</b>	<b>2011</b>	<b>1819</b>	<b>2382.45</b>	<b>946.38</b>	<b>121.93</b>	<b>1068.31</b>	<b>113</b>

**परिशिष्ट 3.16**  
**आठ जिलों में आदिवासी विकास समिति की आबंटन -व्यय को दर्शाती विवरणी**  
 (संदर्भ: कंडिका 3.6.13.2)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	2018-19				2019-20				जिलेवार निधि			लोक लेखा खाता में	ब्याज सहित बैंक में जमा	टिपणी
		आबंटन पत्र	आबंटन	आदिवासी विकास समिति को निधि अंतरण	शेष	आबंटन पत्र	आबंटन	आदिवासी विकास समिति को निधि अंतरण	शेष	आबंटन	आदिवासी विकास समिति को निधि अंतरण	शेष			
1	पश्चिमी सिंहभूम	30/ 14.12.18	500	175.01	324.99	10/ 06.06.19	480	0	0	500	175.01	324.99	324.99	0	480 लाख कालातीत
2	रांची	जारी नहीं किया गया	0	0	0	10/ 06.06.19	850	100.85	239.15	340	100.85	239.15	0	244.28	510 लाख अभ्यर्पित
3	सराइकेला-खरसावाँ	जारी नहीं किया गया	0	0	0	10/ 06.06.19	661.89	32.86	629.03	661.89	32.86	629.03	629.03	0	
4	पूर्वी सिंहभूम	30/ 14.12.18	500	180.48	319.52	10/ 06.06.19	416.84	29.83	387.01	916.84	210.31	706.53	706.53	0	
5	धनबाद	35/ 25.01.19	328.73	87.58	241.15	10/ 06.06.19	330.7	240.75	89.95	659.43	328.33	331.1	331.1	0	
6	बोकारो	35/ 25.01.19	300	0	300	10/ 06.06.19	125.94	128.38	-2.44	425.94	128.38	297.56	0	297.56	
7	गुमला	30/ 14.12.18	454.14	43.38	410.76	10/ 06.06.19	126.852	46.37	80.482	580.99	89.75	491.242	0	508.84	
8	हजारीबाग	जारी नहीं किया गया	0	0	0	10/ 06.06.19	670	0	0	0	0	0	0	0	670 लाख कालातीत
<b>कुल</b>			<b>2082.87</b>	<b>486.45</b>	<b>1596.42</b>	<b>कुल</b>	<b>3662.222</b>	<b>579.04</b>	<b>1423.182</b>	<b>4085.09</b>	<b>1065.49</b>	<b>3019.6</b>	<b>1991.65</b>	<b>1050.68</b>	<b>1660 लाख</b>

**परिशिष्ट 3.17**

**चौदहवें वित्त आयोग के बेसिक अनुदान के अंतर्गत जारी निधि**

(संदर्भ: कंडिका 3.6.14.1)

(₹ लाख में)

जारी वर्ष	स्थानीय निकायों को जारी सं./ तिथि	स्वीकृति पत्र सं. /तिथि	आबंटन पत्र सं. /तिथि	स्थानीय निकायों को स्वीकृत तथा आबंटित राशि	स्थानीय निकायों को अंतरण की तिथि <sup>9</sup>	अंतरण में देरी (15 दिन से अधिक )	दंडात्मक ब्याज <sup>10</sup> @ 6 प्रतिशत
2018-19 2 <sup>री</sup> किश्त	03/2019-20 तिथि- 26.04.2019	02 गैर-योजना सं. /तिथि 06/2017-1 (स्वी.), रांची तिथि - 09.05.2019	02 गैर-योजना सं. /तिथि -06/2017-8 (अ.), रांची तिथि - 10.05.2019	60412.00	12.06.2019	32 दिन	317.78
2019-20 1 <sup>ली</sup> किश्त	14/2019-20 तिथि - 30.07.2019	02 गैर-योजना सं. /तिथि -04/2019-08 (स्वी.), रांची तिथि - 09.08.2019	02 गैर-योजना सं. /तिथि -04/2019-22 (अ.), रांची तिथि - 09.08.2019	81629.50	27.08.2019	13 दिन	167.58
					05.09.2019	22 दिन	11.60
2019-20 2 <sup>री</sup> किश्त	28/2019-20 तिथि - 25.10.2019	02 गैर-योजना सं. /तिथि -04/2019-09 (स्वी.), रांची तिथि - 01.11.2019	02 गैर-योजना सं. /तिथि -04/2019-32 (अ.), रांची तिथि - 01.11.2019	81629.50	20.11.2019	11 दिन	147.60
<b>कुल</b>				<b>223671.00</b>			<b>644.56</b>

<sup>9</sup> रोकड़ पंजी एवं ट्रेजरी सेड्युएल के अनुसार

<sup>10</sup> जून 2019 का बैंक दर



**परिशिष्ट 3.18**  
**अवरूद्ध निधि को दर्शाती विवरणी**  
 (संदर्भ: कंडिका 3.6.16)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिले का नाम	प्राप्त राशि	बी डी ओ/ जिला परिषद् को अंतरित राशि	शेष राशि
1	रांची	34.60	34.10	0.50
2	गुमला	18.80	0.00	18.80
3	हजारीबाग	28.80	0.00	28.80
4	बोकारो	27.20	27.20	0.00
5	धनबाद	28.10	28.10	0.00
6	पूर्वी सिंहभूम	25.80	0.00	25.80
7	सराइकेला खरसावाँ	15.50	3.31	12.19
8	पश्चिमी सिंहभूम	25.80	25.80	0.00
	<b>कुल</b>	<b>204.60</b>	<b>118.51</b>	<b>86.09</b>

**परिशिष्ट 3.19**  
**सम्पूर्ण बजट प्रावधान का अनुपयोग एवं अभ्यर्पण**  
(संदर्भ: कंडिका 3.7.6)

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	सचिवालय/ कार्यालय	इकाईओं की संख्या जिनमें राशि अभ्यर्पित की गयी	आबंटन	अभ्यर्पित राशि
1	रांची	उप-सचिव, खनन एवं भूतत्व विभाग, झा. स., (सरकार पक्ष)	02	0.53	0.53
		जिला खनन कार्यालय	02	0.43	0.43
		आप्त सचिव, खनन निदेशालय	04	15.00	15.00
		उप-निदेशक (भूतत्व) दक्षिण छोटानागपुर अंचल	03	0.43	0.43
		जिला भूतत्व कार्यालय	03	0.45	0.45
2	रामगढ़	जिला खनन कार्यालय	01	0.20	0.20
3	बोकारो	जिला खनन कार्यालय	02	1.06	1.06
		जिला भूतत्व कार्यालय	03	0.20	0.20
4	सिमडेगा	जिला खनन कार्यालय	02	7.50	7.50
5	जमशेदपुर	जिला खनन कार्यालय	04	0.90	0.90
		जिला भूतत्व कार्यालय	05	1.08	1.08
6	सराइकेला	जिला खनन कार्यालय	04	0.90	0.90
		जिला भूतत्व कार्यालय	01	0.15	0.15
7	गुमला	जिला खनन कार्यालय	02	0.70	0.70
		जिला भूतत्व कार्यालय	02	0.25	0.25
8	हजारीबाग	जिला खनन कार्यालय	03	4.27	4.27
		उप-निदेशक (भूतत्व) उत्तरी छोटानागपुर अंचल	06	3.10	3.10
		जिला भूतत्व कार्यालय	01	0.25	0.25
		राज्य भूतत्व प्रयोगशाला	01	0.10	0.10
		अपर निदेशक (भूतत्व)	01	0.30	0.30
<b>कुल</b>			<b>52</b>	<b>37.80</b>	<b>37.80</b>

**परिशिष्ट: 3.20**  
**वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन में निधि का अभ्यर्पण**  
**(संदर्भ: कंडिका 3.7.7)**

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	सचिवालय/ कार्यालय	इकाईयों की संख्या जिनमे राशी अभ्यर्पित की गयी	आबंटन	व्यय	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण की तिथि
1	रांची	उप-सचिव, खनन एवं भूतत्व विभाग, झा. स., (सरकार पक्ष)	06	10.28	5.20	5.08(50%)	31.03.20
		जिला खनन कार्यालय	04	1.23	0.24	0.99(81%)	26.03.20
		आप्त सचिव, खान निदेशालय	00	0.00	0.00		अभ्यर्पण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया
		खान निदेशालय	05	87.00	40.63	46.37(53%)	31.03.20
		उप-निदेशक (भूतत्व) दक्षिण छोटानागपुर अंचल	08	3.39	1.15	2.24(66%)	31.03.20
		जिला भूतत्व कार्यालय	08	5.02	1.80	3.22(64%)	31.03.20
		2	रामगढ	जिला खनन कार्यालय	03	1.65	0.21
3	बोकारो	जिला खनन कार्यालय	05	3.49	1.53	1.96 (56%)	31.03.20
		जिला भूतत्व कार्यालय	07	0.95	0.41	0.54(57%)	31.03.20
4	सिमडेगा	जिला खनन कार्यालय	05	17.30	4.16	13.14 (76%)	31.03.20
5	जमशेदपुर	जिला खनन कार्यालय	04	0.90	0.00	0.90 (100%)	31.03.20
		जिला भूतत्व कार्यालय	06	1.68	0.20	1.48(88%)	31.03.20
6	सराइकेला	जिला खनन कार्यालय	06	2.13	0.39	1.74 (82%)	31.03.20
		जिला भूतत्व कार्यालय	05	0.65	0.11	0.54(83%)	31.03.20
7	गुमला	जिला खनन कार्यालय	03	3.80	0.58	3.22 (85%)	31.03.20
		जिला भूतत्व कार्यालय	05	1.35	0.42	0.93(69%)	31.03.20
8	हजारीबाग	जिला खनन कार्यालय	04	4.97	0.03	4.94(99%)	31.03.20
		उप-निदेशक (भूतत्व) उत्तरी छोटानागपुर अंचल	08	4.88	0.42	4.46(91%)	31.03.20
		अपर निदेशक (भूतत्व)	02	2.30	1.09	1.21(51%)	
<b>कुल</b>			<b>94</b>	<b>152.97</b>	<b>58.57</b>	<b>94.40(62%)</b>	

**परिशिष्ट 3.21**  
**व्यय का वेग**  
(संदर्भ: कंडिका 3.7.8)

(₹ लाख में)

जिला	सचिवालय/ कार्यालय	इकाईओं की संख्या	कुल व्यय	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय की प्रतिशतता
रांची	उप-सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झा. स., (सरकार पक्ष)	03	5.49	5.49	100
	भूतत्व निदेशालय	05	495.21	233.96	45 to 93
जमशेदपुर	जिला भूतत्व कार्यालय	02	9.65	5.58	57 to 100
सराइकेला	जिला भूतत्व कार्यालय	04	0.12	0.12	100
गुमला	जिला भूतत्व कार्यालय	06	5.50	3.07	49 to 100
हजारीबाग	उप-निदेशक (भूतत्व) उत्तरी छोटानागपुर अंचल	02	0.47	0.47	100
<b>कुल</b>		<b>22</b>	<b>516.44</b>	<b>248.69</b>	

**परिशिष्ट 3.22**  
**विभागीय व्यय के आंकड़ों का असमाशोधन का ब्यौरा**  
(संदर्भ: कंडिका 3.7.9)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिला	कार्यालय	कुल व्यय	समाशोधित राशि	असमाशोधित राशि
1	रांची	उप-सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झा. स., (सरकार पक्ष)	2.46	0.00	2.46
		जिला खनन कार्यालय	2.74	0.00	2.74
		भूतत्व निदेशालय	8.17	4.30	3.87
		जिला भूतत्व कार्यालय	0.54	0.41	0.13
2	रामगढ़	जिला खनन कार्यालय	0.37	0.00	0.37
3	बोकारो	जिला खनन कार्यालय	0.63	0.00	0.63
		जिला भूतत्व कार्यालय	0.06	0.00	0.06
4	सिमडेगा	जिला खनन कार्यालय	0.28	0.00	0.28
5	जमशेदपुर	जिला खनन कार्यालय	0.67	0.53	0.14
		जिला भूतत्व कार्यालय	0.10	0.00	0.10
6	सराइकेला	जिला खनन कार्यालय	0.23	0.00	0.23
7	गुमला	जिला खनन कार्यालय	0.41	0.00	0.41
		जिला भूतत्व कार्यालय	0.06	0.00	0.06
8	हजारीबाग	जिला खनन कार्यालय	0.24	0.00	0.24
		अपर निदेशक (भूतत्व)	0.58	0.08	0.50
<b>कुल</b>			<b>17.54</b>	<b>5.32</b>	<b>12.22</b>

**परिशिष्ट 4.1**  
**खनन एवं भूतत्व विभाग के बकाये डी.सी.विपत्र का ब्यौरा**  
 (संदर्भ: कंडिका 4.6)

(₹ लाख में)

वर्ष	शीर्ष	ए.सी. विपत्र की राशि	बकाये डी.सी. विपत्र की राशि
2001-02	2853	8.10	8.10
2003-04	2853	1.30	1.30
2004-05	2853	170.48	11.85
2005-06	2853	0.54	0.54
2006-07	2853	0.60	0.60
2007-08	2853	5.00	5.00
2010-11	2853	0.51	0.51
2013-14	2853	0.33	0.33
2018-19	2853	0.25	0.25
2019-20	2853	2.61	2.61
<b>कुल</b>		<b>189.72</b>	<b>31.09</b>

स्रोत: वी एल सी डाटा

## परिशिष्ट 4.2

## "800 अन्य प्राप्तियाँ" के रूप में वर्गीकृत प्राप्तियों के ब्योरे को दर्शाती विवरणी

(संदर्भ: कंडिका 4.10)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	शब्दावली	"800" के अंतर्गत अंकित राशि	कुल प्राप्तियां	"800" के अंतर्गत अंकित राशि की कुल प्राप्तियों से प्रतिशतता
1	0575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	0.00	100.00
2	0801	शक्ति	83.15	83.15	100.00
3	1075	अन्य परिवहन सेवाएं	0.00	0.00	100.00
4	1054	सड़क एवं पुल	106.49	106.49	99.99
5	0047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	0.00	0.00	99.96
6	0702	लघु सिंचाई	2.42	2.42	99.88
7	1055	सड़क परिवहन	0.00	0.00	99.78
8	0059	लोक निर्माण कार्य	5.76	5.78	99.74
9	0852	उद्योग	1.46	1.47	99.31
10	0220	सूचना और प्रचार	0.01	0.01	95.69
11	0701	मध्यम सिंचाई	28.25	30.52	92.58
12	0215	जल आपूर्ति और स्वच्छता	9.12	11.89	76.67
13	0211	परिवार कल्याण	0.00	0.01	75.32
14	1456	जन आपूर्ति	296.06	419.74	70.53
15	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	54.91	89.28	61.50
16	0210	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	4.19	8.75	47.84
17	0071	पेंशन के लिए योगदान और वसूली	2.76	5.99	46.15
18	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	13.52	30.38	44.49
19	0058	स्टेशनरी और प्रिंटिंग	0.00	0.00	34.31
20	0041	वाहनों पर कर	367.45	1128.98	32.55
21	0425	सहकारिता	4.87	16.40	29.71
22	0406	वानिकी और वन्य जीवन	3.67	17.59	20.88
23	0056	जेल	0.55	2.87	19.30
24	0029	भू राजस्व	64.51	337.98	19.09
25	0700	मुख्य सिंचाई	80.29	423.73	18.95
26	0049	ब्याज प्राप्तियां	38.85	309.51	12.55
27	0057	आपूर्ति और निपटान	0.01	0.05	11.93
		कुल	1168.30	3032.99	

नोट: वर्ष के दौरान 46 प्रमुख शीर्षों में "अन्य प्राप्तियों" के तहत ₹ 1,401.43 करोड़ बुक किए गए हैं।

"800 अन्य प्राप्तियों" के तहत बुक की गई कुल प्राप्तियों के 10 प्रतिशत से अधिक को इस अनुबंध में दर्शाया गया है।

## परिशिष्ट 4.3

नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के अधीन  
चिन्हित लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों की सूची  
(संदर्भ: कंडिका 4.18)

क्र.सं.	विभाग	कार्यालय का नाम	जिला	तक लेखापरीक्षित
1	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	बोकारो	2018-19
2	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	चतरा	2018-19
3	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	देवघर	2012-13
4	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	धनबाद	2018-19
5	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	दुमका	2013-14
6	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पूर्वी सिंहभूम	2014-15
7	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गढ़वा	2017-18
8	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गिरिडीह	2013-14
9	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गोड्डा	2015-16
10	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	गुमला	2010-11
11	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	हजारीबाग	2014-15
12	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	जामताड़ा	2011-12
13	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	खूँटी	2015-16
14	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	कोडरमा	2013-14
15	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लातेहार	2015-16
16	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	लोहरदगा	2013-14
17	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पाकुड़	2018-19
18	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	पलामू	2013-14
19	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	राँची	2011-12
20	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	रामगढ़	2015-16
21	स्वास्थ्य	झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य मिशन सोसाइटी, नामकुम	राँची	2015-16
22	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सराइकेला खरसावाँ	2013-14
23	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	सिमडेगा	2013-14
24	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	(प. सिंहभूम) चाईबासा	2018-19
25	स्वास्थ्य	जिला ग्रामीण स्वास्थ्य सोसाइटी	साहेबगंज	2013-14
26	शिक्षा	झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची	राँची	2014-15
27	स्वास्थ्य	झारखण्ड एड्स नियंत्रण सोसाइटी, राँची	राँची	2002-03
28	शिक्षा	नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट	नेतरहाट	2015-16
29	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	देवघर	2015-16
30	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लातेहार	2014-15
31	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	हजारीबाग	2015-16
32	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गिरिडीह	2016-17
33	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गढ़वा	2016-17
34	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	राँची	2016-17
35	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)	2016-17
36	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	रामगढ़	2015-16
37	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा)	2015-16
38	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सिमडेगा	2015-16
39	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	कोडरमा	2015-16
40	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	दुमका	2015-16

41	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गोड्डा	2016-17
42	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पाकुड़	2015-16
43	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	सरायकेला	2015-16
44	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	लोहरदगा	2015-16
45	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	बोकारो	2011-12
46	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	चतरा	2014-15
47	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	धनबाद	2012-13
48	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	गुमला	2016-17
49	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	पलामू	2014-15
50	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	साहेबगंज	2016-17
51	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	जामताड़ा	2010-11
52	ग्रामीण विकास	डी.आर.डी.ए.	खूँटी	2016-17
53	शिक्षा (उ. एवं त.)	बिड़ला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची	राँची	2016-17
54	उड्डयन	नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राँची	राँची	2016-17
55	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (जेप-आई.टी.)	राँची	2013-14
56	सूचना प्रौद्योगिकी	झारखण्ड अन्तरिक्ष क्रियान्वयन केंद्र, धुर्वा, राँची	राँची	2007-08
57	सामाजिक कल्याण	झारखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राँची	राँची	2006-07
58	आई.टी. एवं इ-गवर्नेंस	राज्य सूचना आयोग	राँची	2015-16
59	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राँची	राँची	2015-16
60	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो	बोकारो	2015-16
61	उद्योग	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जमशेदपुर	जमशेदपुर	2016-17
62	वन	लाख ट्रीटमेंट इकाई, लातेहार	लातेहार	2008-09
63	कृषि	राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राँची	राँची	2014-15
64	शिक्षा (उ. एवं त.)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, झारखण्ड सरकार	राँची	2015-16
65	जैवप्रौद्योगिकी	वन में लाख की खेती, डोरंडा	राँची	2008-09
66	पशुपालन	बेकन फैक्टरी, काँके, राँची	राँची	2009-10
67	विधि	कानूनी सेवाएं समिति, उच्च न्यायालय, राँची	राँची	2008-09
68	सूचना एवं जन संपर्क	राज्य प्रेस, राँची	राँची	2010-11
69	शिक्षा व अनुसंधान	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	राँची	2006-07
70	वन	झारखण्ड जैव-विविधता बोर्ड/परिषद, डोरंडा, राँची	राँची	2016-17
71	उद्योग	मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राँची	राँची	2016-17
72	स्वास्थ्य	निदेशक, आर.के.मिशन, टी.बी. सैनेटोरियम, तुपुदाना	राँची	2005-06
73	शिक्षा	निदेशक, आर.के.मिशन आश्रम, मोराबादी, राँची	राँची	2007-08
74	शिक्षा	झारखण्ड महिला समाख्या सोसाइटी, कडरू, राँची	राँची	2005-06
75	वन	कार्यकारी निदेशक, वेस्ट लैंड विकास बोर्ड, झारखण्ड	राँची	लेखापरीक्षा नहीं
76	वन	वन विकास प्राधिकार	राँची	लेखापरीक्षा नहीं

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा संधारित स्थायी लेखापरीक्षा कार्यक्रम पंजी



## प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दावलियों की सूची, गणनाओं का आधार और परिवर्णी शब्द

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
वृद्धि की दर (वृ.द.)	$[(\text{वर्तमान वर्ष की राशि/गत वर्ष की राशि})-1]*100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा भुगतान किया गया औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान}/[(\text{पूर्व वर्ष के राजकोषीय दायित्व की राशि}+\text{वर्तमान वर्ष का राजकोषीय दायित्व})/2]*100$
ब्याज विस्तार	स.रा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
क्वांटम विस्तार	ऋण स्टॉक * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज प्रतिशत के रूप में	$\text{प्राप्त ब्याज } [(\text{आरंभिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिम का अंतशेष})/2]*100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्रप्ति - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियाँ
- विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
वर्तमान राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटाव सभी योजना अनुदान और गैर-योजना राजस्व व्यय, मुख्य शीर्ष '2048-ऋण के वर्जना या कमी हेतु विनियोजन' के अधीन अंकित व्यय को छोड़कर
ऋण धारणीयता	ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को एक समयावधि तक स्थिर रखने की राज्य की क्षमता को ऋण धारणीयता के रूप में परिभाषित किया जाता है और इसमें अपने ऋण निष्पादन की क्षमता विषयक मामला सन्निहित होता है। अतः चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन हेतु तरल परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त देनदारियों की लागत तथा उन देनदारियों के प्रतिफल के मध्य संतुलन बनाये रखने की क्षमता भी ऋण की धारणीयता को संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटा में वृद्धि ऋण निष्पादन की क्षमता में वृद्धि से के अनुरूप होना चाहिए।
ऋण स्थिरीकरण	ऋण स्थिरता का अनिवार्य शर्त है कि यदि अर्थव्यवस्था के वृद्धि की दर ब्याज दर या लोक उधार की लागत से अधिक हो, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना है बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या मामूली ऋणात्मक हो। दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण गुणा दर विस्तार) उल्लिखित रहने पर, ऋण स्थिरीकरण की स्थिति बताती है कि यदि मात्रा विस्तार प्राथमिक विस्तार सहित शून्य हो तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर होगा या ऋण अंततः दृढ़ हो जायेगा। दूसरी ओर, यदि प्राथमिक विस्तार मात्रा विस्तार सहित ऋणात्मक हो जाता है, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात बढ़ता रहेगा और यदि धनात्मक हो, तो ऋण स.रा.घ.उ. अनुपात अंततः गिरेगा।

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
उधार निधियों की सकल उपलब्धता	कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और उधार निधियों की सकल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण मोचन में ऋण प्राप्तियों के उपयोग की गयी सीमा को इंगित करता है।
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधान सभा द्वारा प्राधिकृत बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत अनुदानों और भारत विनियोग के अधीन निधियों की कुल राशि (मूल व अनुपूरक) के सापेक्ष प्रत्येक के विरुद्ध वहन किया गया वास्तविक व्यय और प्रत्येक अनुदान या विनियोजन के अधीन खर्च न किए गए प्रावधान या आधिक्य प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमंडल द्वारा विनियमन आवश्यक है।
स्वायत्त निकाय	स्वायत्त निकाय (सामान्यतः निबंधित सोसायटियाँ या वैधानिक निगम) तब स्थापित किये जाते हैं जब यह अनुभव किया जाता है कि नियत कार्यों का निर्वहन शासकीय स्थापना के बाहर कुछ मात्रा में स्वतंत्रता और लचीलेपन सहित सरकारी मशीनरी के दिन-प्रतिदिन हस्तक्षेप के बिना करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी पर व्यय, पेंशन एवं सब्सिडी जिन पर वर्तमान कार्यपालिका का सीमित नियंत्रण है सम्मिलित होते हैं।
राज्य कार्यान्वयन योजना	राज्य कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन जो राज्य सरकार द्वारा राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों यथा सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन सोसायटी और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इत्यादि को कार्यान्वित करने के लिए भारत सरकार से निधि प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत है सहित कोई संगठन/संस्थान सम्मिलित होते हैं।
आकस्मिकता निधि	विधानमंडल ने विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में एक आकस्मिकता निधि स्थापित किया है जिसमें समय समय पर ऐसी राशि, जैसा विधि द्वारा तय किया जाये, डाली जाती है और उक्त निधि को अनपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु निधि से अग्रिम देने के लिए राज्यपाल के नियंत्रण में रखा जाता है, ऐसा व्यय संविधान के अनुच्छेद 115 या 116 के अंतर्गत विधि द्वारा विधानमंडल से स्वीकृति के लिए लंबित होता है।
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत गठित किया गया है जिसमें सभी प्राप्तियाँ राजस्व एवं ऋण प्रवाह सभी समेकित निधि से सभी दत्तमत एवं भारत सभी व्यय विनियोग द्वारा होता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जिनके नाम राजस्व लेखे (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूंजीगत लेखा (लोक ऋण एवं उधार इत्यादि), शामिल है।
आकस्मिक देयता	आकस्मिक देयता को अलग एवं स्वतंत्र इकाई के रूप में व्यय किया या नहीं भी किया जा सकता है यह भविष्य के घटना के परिणाम पर निर्भर करता है जैसे कोर्ट केस।
शोधन निधि	एक निधि जिसमें सरकार कुछ समय से ऊपर तक अपने ऋण से मुक्ति के लिए अलग रख दिया जाता है।

शब्दावली	गणना का आधार एवं व्याख्यान
गारंटी विमोचन निधि	गारंटियाँ ऋण लेनेवालों, जिन्हें गारंटी दी गयी है, के द्वारा चूकों की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक दायित्व होती हैं। गारंटी विमोचन निधि की शर्तों के अनुसार, राज्य सरकार को वर्ष के दौरान बकाया अवलंबित गारंटियों के कम से कम 1/5वें भाग के बराबर की राशि तथा वृद्धिशील गारंटियों के कारण संभाव्य अवलंबित राशि का योगदान करना होता है।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत के लोगों से लिया गया नियमित ऋण सम्मिलित होता है जिसे 'भारत में उद्व्याहित ऋण' भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा ऋण तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय का अर्थ है ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व व्यय।
पुनर्विनियोग	अर्थात् विनियोग के एक प्राथमिक इकाई से इसी प्रकार की अन्य इकाई में निधियों का अंतरण।
अव्ययित प्रावधानों का प्रत्यर्पण	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व राज्य सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों एवं विनियोगों में अवलोकित सभी पूर्वानुमानित अव्ययित प्रावधानों को वित्त मंत्रालय को प्रत्यर्पित करना होता है।
पूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनायी गयी किसी विधि द्वारा प्राधिकृत राशि जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी विशेष सेवा के लिए व्यय किया जाना है यदि उस वर्ष के उद्देश्य हेतु अपर्याप्त पाया जाता है या जब वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान किसी 'नयी सेवा', जो उस वर्ष के मूल बजट में नहीं रखा गया हो, पर पूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न होती है तो सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के प्रावधानों के अनुसार पूरक अनुदान या विनियोग प्राप्त करना है।
उचंत एवं विविध	प्राप्तियाँ एवं भुगतान की मद्दे जिन्हें उनकी प्रकृति संबंधी सूचना के अभाव या किन्हीं अन्य कारणों से प्राप्ति या प्रभार के अंतिम शीर्ष में तुरंत नहीं लिया जा सकता है, अस्थायी रूप से लेखाओं के "एल. उचंत एवं विविध" क्षेत्र में मुख्य शीर्ष "8658-उचंत लेखा" के अधीन रखा जा सकता है (अतिरिक्त मार्गदर्शन के लिए लेखाओं के मुख्य/लघु शीर्ष की सूची में मुख्य शीर्ष के अधीन फुटनोट देखा जा सकता है)। सेवा प्राप्ति जिसका पूर्ण विवरण नहीं दिया गया हो को "उचंत लेखा" शीर्ष में नहीं लिया जाना चाहिए बल्कि राजस्व मुख्य शीर्ष के अधीन उस लघु शीर्ष "अन्य प्राप्तियाँ" जिससे यह संबंधित प्रतीत होता हो में क्रेडिट किया जाना चाहिए जो विस्तृत विवरण की प्राप्ति पर अंततः उचित शीर्ष में जमा करने तक लंबित रहेगा।
लोक लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरणियाँ या इसी प्रकार के अन्य लेखे या वित्तीय मामलों से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन या समिति स्वयं जिनकी जाँच आवश्यक समझे के परीक्षण के लिए विधान सभा द्वारा गठित एक समिति।

परिवर्णी शब्द	पूरा नाम
ए.सी. विपत्र	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र
ए.ई.	समस्त व्यय
बी.ई.	बजट प्राक्कलन
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सी.ई.	पूँजीगत व्यय
डी.सी. बिल	विस्तृत आकस्मिक व्यय
डी.ई.	विकासात्मक व्यय
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
स.रा.घ.उ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एफ.आर.बी.एम.	बजट प्रबंधन एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियम, 2005
ओ. एण्ड एम.	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
आर.ई.	राजस्व व्यय
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियाँ
एस. एण्ड डब्ल्यू	वेतन और मजदूरी
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्रगत व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
चौ.वि.आ.	चौदहवाँ वित्त आयोग
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
वी.ए.टी.	मूल्य वृद्धि कर
ए.सी. विपत्र	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र